

**3. लेन-देनों की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां**

राज्य सरकारी कंपनियों तथा सांविधिक निगमों के संपादनों की नमूना-जांच से उद्भूत मुख्य लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में शामिल हैं।

**सरकारी कंपनियां**

**हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड**

**3.1 अतिरिक्त व्यय**

संशोधित बोली की स्वीकार्यता की क्लॉज एन.आई.टी. में शामिल न करने के कारण पी.टी.पी.एस. को निविदा इन्क्वारी रद्द करनी पड़ी थी तथा उसको इस अनुबंध अवधि में ₹ 0.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कंपनी) क्रय विनियम, 2011 की क्लॉज 8.7 (i) प्रावधान करती है कि बोलीदाता द्वारा स्वतः प्रस्तुत संशोधित बोली के किसी मामले में मूल प्रस्ताव के साथ-साथ संशोधित प्रस्ताव भी खोले जाएंगे तथा केवल निम्नतम प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा।

कंपनी के पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.) ने तीन वर्ष की अवधि के लिए 52 सीट की क्षमता वाली चार डीजल चालित बसों एवं 40 सीट की क्षमता वाली एक मिनी बस किराए पर लेने और परिचालन करने के लिए निविदा आमंत्रण नोटिस (एन.आई.टी.) जारी किया (3 मई 2013)। बोलियां दो भाग में खोली जानी थी अर्थात् तकनीकी बोली (भाग-I) तथा मूल्य बोली (भाग-II)। भाग-I 22 मई 2013 को खोला जाना था तथा भाग-II उसके पश्चात् केवल उन बोलीदाताओं के लिए खोला जाना था जो भाग-I की एन.आई.टी. शर्तों को पूरा करते थे।

तीन बोलीदाताओं अर्थात् मैसर्स पाल ट्रेवलज, पानीपत, मैसर्स रणजीत ट्रांसपोर्ट कंपनी, भटिण्डा तथा मैसर्स पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत ने निविदाओं में भाग लिया। बोली का भाग-I 22 मई 2013 को खोला गया तथा सभी तीन बोलीदाता बोली के भाग-II खोलने के लिए योग्य पाए गए। तथापि, एक बोलीदाता मैसर्स पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत ने बोली का भाग-II खोलने से पहले अपनी संशोधित बोली प्रस्तुत की (17 जून 2013) तथा पी.टी.पी.एस. ने 17 जून 2013 को सभी तीन बोलीदाताओं की मूल्य बोलियां (मैसर्स पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत की मूल एवं संशोधित बोली सहित) नीचे दिए गए विवरण के अनुसार खोली:

क्र. सं.	कार्य का विवरण	मैसर्स पाल ट्रेवलज पानीपत	मैसर्स रणजीत ट्रांसपोर्ट कंपनी	मैसर्स पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी	
				मूल प्रस्ताव	संशोधित बोली
दर प्रति बस प्रति माह (₹)					
1.	52 सीट वाली बस का किराया	93,232	1,46,048	97,972	90,678
2.	40 सीट वाली बस का किराया	68,726	1,11,288	72,827	68,843

इस प्रकार, मैसर्स पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत एल-1 बोलीदाता के रूप में प्रकट हुई। लेकिन अवार्ड का पत्र जारी करने से पूर्व मैसर्स पाल ट्रेवलज, पानीपत ने रिप्रेजेंटेशन किया

(19 जून 2013) कि एन.आई.टी. में किसी बोलीदाता से संशोधित बोली स्वीकार करने हेतु कोई प्रावधान नहीं था; यदि संशोधित बोलियां स्वीकार होनी थी तो उनको इसकी सूचना नहीं दी गई थी और इसके अभाव में वे एल-1 बोलीदाता थे तथा कार्य उनको दिया जाना चाहिए था। पी.टी.पी.एस. की भण्डार क्रय समिति ने रिप्रेजेंटेशन पर विचार किया तथा निविदाएं रद्द करने एवं बोलियां पुनः आमंत्रित करने का निर्णय लिया (19 जून 2013)। पी.टी.पी.एस. ने निविदाएं पुनः आमंत्रित की (30 जून 2013) तथा प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर दो कार्य आदेश दिए (17 फरवरी 2014), एक मैसर्ज पाल ट्रेवल्लज, पानीपत (एल-1) को ₹ 1,09,649 प्रति बस प्रति माह की लागत पर चार बसों (52 सीट की क्षमता वाली) को किराए पर लेने और परिचालन के लिए तथा दूसरा मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, पानीपत (एल-1) को ₹ 83,749 प्रति बस प्रति माह की लागत पर एक बस (40 सीट की क्षमता वाली) के लिए दिए। दोनों फर्मों की अनुबंध अवधि 09 जनवरी 2014 से 08 जनवरी 2017 तक तीन वर्ष थी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (जनवरी 2015) कि यद्यपि कंपनी ने, अपने क्रय विनियम 2011 के नियमानुसार मई 2013 में निविदा पूछताछ के विरुद्ध मैसर्ज पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी से संशोधित मूल्य बोली स्वीकार कर ली थी। चूंकि इस संबंध में आवश्यक क्लॉज निविदा के नियमों एवं शर्तों में शामिल नहीं की गई थी, उसे इस निविदा पूछताछ को रद्द करना पड़ा। जून 2013 में पुनः निविदा आमंत्रित करने पर प्राप्त दरें मई 2013 की रद्द की गई निविदा पूछताछ की एल-1 बोलियों की तुलना में मई 2013 की रद्द की गई निविदा पूछताछ की एल-1 बोलियों की तुलना में, 52 सीट की क्षमता वाली चार बसों के लिए ₹ 16,417 प्रति बस प्रति माह तथा 40 सीट की क्षमता वाली एक बस के लिए ₹ 15,023 प्रति बस प्रति सीट तक उच्चतर थी। इस प्रकार, एन.आई.टी. की शर्तों में संशोधित बोलियों की स्वीकार्यता की क्लॉज शामिल न करने के कारण पी.टी.पी.एस. पानीपत द्वारा उच्चतर दरों पर कार्य देना पड़ा तथा इस अनुबंध अवधि के दौरान उसे ₹ 0.29 करोड़<sup>1</sup> का अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

प्रबंधन तथा सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि एन.आई.टी. को सभी बोलीदाताओं को समान अवसर प्रदान करने हेतु रद्द किया गया था। अतः यह तथ्य बना रहता है कि चूंकि एन.आई.टी. की शर्तों में यह क्लॉज शामिल नहीं थी कि संशोधित बोलियां स्वीकार्य होंगी और स्वीकृत संशोधित बोली वाली कंपनी को उसके विरुद्ध की जा रही निविदा पूछताछ को निरस्त करना पड़ा। इस प्रकार, कंपनी पुनः निविदा में प्राप्त उच्चतर दरों के कारण ₹ 0.29 करोड़ का अतिरिक्त व्यय कर रही होगी।

### 3.2 लॉजिस्टिक एजेंट को अनुचित भुगतान करने के कारण हानि

कंपनी ने 21,631.43 मीट्रिक टन आयातित कोयलों पर जो प्राप्त नहीं हुआ था, रेलवे भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, स्टांप ड्यूटी तथा पोर्ट चार्जिज के प्रति ₹ 4.71 करोड़ का भुगतान किया।

कंपनी ने अपने थर्मल पावर स्टेशनों अर्थात् दीनबन्धु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट (डी.सी.आर.टी.पी.पी.), यमुनानगर, राजीव गांधी थर्मल पावर प्लांट (आर.जी.टी.पी.पी.) खेदड़, हिसार तथा पानीपत थर्मल पावर स्टेशन (पी.टी.पी.एस.), पानीपत के लिए 14.50 लाख मीट्रिक

<sup>1</sup> ₹ 16,417 x 4 बसें x 12 महीने x 3 वर्ष जमा ₹ 15,023 x 12 महीने x 3 वर्ष।

टन आयातित कोयले की आपूर्ति हेतु एम.एस.टी.सी. लिमिटेड, कोलकाता<sup>2</sup> (आपूर्तिकर्ता) को क्रय आदेश (क्र.आ.) दिया (17 अक्टूबर 2012)। इस कोयले में से, छः लाख मीट्रिक टन पी.टी.पी.एस. पानीपत, दो लाख मीट्रिक टन डी.सी.आर.टी.पी.पी. तथा छः लाख पचास हजार मीट्रिक टन आर.जी.टी.पी.पी. को दिया जाना था। अदानी एंटरप्राइजिज लिमिटेड को लोजिस्टिक एजेंट (एल.ए.) के रूप में आपूर्तिकर्ता द्वारा ही नामित किया गया था। तदनुसार, कंपनी ने अंतर्देशीय लोजिस्टिक गतिविधियों के लिए एल.ए. को कार्य आदेश दिया (17 अक्टूबर 2012)। पोर्ट पर कार्गो की प्राप्ति से लेकर पावर प्लांट्स को इसकी सुपुर्दगी तक संपूर्ण कार्यों के लिए एल.ए. उत्तरदायी था तथा ₹ 250 प्रति मीट्रिक टन की दर पर उसे हैडलिंग चार्जिज का भुगतान किया जाना था। क्लॉज 6.1 के साथ पठित क्लॉज 6 में निर्धारित किया गया था कि पोर्ट चार्जिज, कस्टम ड्यूटी तथा रेलवे भाड़ा वास्तविक आधार पर (सांविधिक कर सहित) तथा अन्य कर/सांविधिक शुल्क यदि कोई है, भुगतान किए जाने थे।

उपर्युक्त क्रय आदेश के विरुद्ध 24 जलयानों के माध्यम से प्राप्त आयातित कोयले के संबंध में प्राप्त मात्रा तथा किए गए भुगतान की नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2014) कि मात्रा 21,631.43 मीट्रिक टन कम प्राप्त की गई थी। कंपनी ने एल.ए. को भुगतान करते समय, कम प्राप्त कोयले की लागत की सी.आई.एफ. मूल्य<sup>3</sup> पर कटौती कर ली। तथापि, कटौती की राशि परिकलित करते समय इसने रेलवे भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी तथा पोर्ट चार्जिज, जो एल.ए. द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाने वाले कोयले की लागत<sup>4</sup> का हिस्सा बनते हैं, के लागत तत्वों पर विचार नहीं किया। कंपनी ने कभी प्राप्त न हुए कोयले की मात्रा के लिए रेलवे भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी तथा पोर्ट चार्जिज के प्रति ₹ 4.71 करोड़ का भुगतान किया जिसकी कटौती एवं वसूली की जानी चाहिए थी। इसके परिणामस्वरूप एल.ए. को अनुचित लाभ हुआ तथा कंपनी को ₹ 4.71 करोड़ की हानि हुई।

प्रबंधन/सरकार ने बताया (नवंबर 2015) कि रेलवे भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी तथा पोर्ट चार्जिज का भुगतान, प्राप्त मात्रा को ध्यान में रखे बिना क्रय आदेश की क्लॉज 6.1 (ii) के अनुसार दस्तावेजी प्रमाण के साथ वास्तविक आधार पर किया जाना था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कथित क्लॉज “प्राप्त मात्रा को ध्यान में रखे बिना” शर्त का कहीं उल्लेख नहीं करती। आगे अनुवर्ती क्लॉज 6.2 में प्रावधान था कि अनलोडिंग स्थान पर अर्थात् एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर स्टेशनों पर प्रत्येक रिक के जांच परिणामों के आधार पर भुगतान में मात्रा एवं गुणवत्ता भिन्नता के लिए समायोजन किए जाएंगे। प्राप्त न किए गए कोयले हेतु वसूली भी, ट्रांसपोर्टेशन प्वाइंट पर सभी लागत तत्वों को परिगणना में लेकर परिकलित की जानी चाहिए थी, न कि केवल सी.आई.एफ. मूल्य पर। अतः प्लांट पर वस्तुतः प्राप्त आयातित कोयले की मात्रा के आधार पर रेलवे भाड़ा, कस्टम ड्यूटी, स्टाम्प ड्यूटी तथा पोर्ट चार्जिज के भुगतान समायोजित किए जाने चाहिए थे। पुनः एक अन्य मामले में, प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2015) कि नई एन.आई.टी. में, 10 लाख एम.टी. आयातित कोयले के खरीद हेतु, एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर प्लांट्स में प्राप्त किए जाने वाले आयातित कोयले की निवल समायोजित मात्रा पर कस्टम ड्यूटी भुगतान हेतु, प्रावधान किए गए हैं।

<sup>2</sup> एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम।

<sup>3</sup> लैडिंग पोर्ट पर मैरिन बीमा तथा मैरिन भाड़ा सहित लागत।

<sup>4</sup> भारतीय लागत एवं प्रबंधन लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामग्री लागत पर लागत लेखांकन मानक - 6 पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार।

### 3.3 कस्टम ड्यूटी का अधिक भुगतान

कंपनी ने आयातित कोयला पर, जो गारंटीड विशिष्टताओं से कमतर थी, एक फर्म को ₹ 2.10 करोड़ की अधिक कस्टम ड्यूटी भुगतान की।

कंपनी ने अपने थर्मल पावर स्टेशनों को क्रमशः 14.50 लाख मीट्रिक टन तथा 20.00 लाख मीट्रिक टन आयातित स्टीम कोयला की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एम.एस.टी.सी. लिमिटेड को दो क्रय आदेश (क्र.आ.) दिए (17 अक्टूबर 2012 तथा 2 सितंबर 2013)। चूंकि मैसर्ज एम.एस.टी.सी. लिमिटेड ने मैसर्ज अदानी एंटरप्राइजिज लिमिटेड को लोजिस्टिक एजेसी (एल.ए.) के रूप में नामित किया था, इस आयातित कोयले की हैंडलिंग के लिए एल.ए. के पक्ष में भी कंपनी द्वारा दो कार्य आदेश (का.आ.) साथ-साथ जारी किए गए। इन दो क्रय आदेशों के अनुसार पी.टी.पी.एस. पानीपत, डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर तथा आर.जी.टी.पी.पी. हिसार द्वारा क्रमशः 15.92 लाख मीट्रिक टन, 4.40 लाख मीट्रिक टन तथा 14.18 लाख मीट्रिक टन कोयला प्राप्त किया जाना था। कार्य आदेश की शर्तों एवं नियमों में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान था कि आयातित कोयले की गुणवत्ता क्रय आदेश तथा कार्य आदेश में दिए गए विशिष्टताओं के अनुसार होगी। यदि प्राप्त कोयले की विशिष्टता, गारंटीड विशिष्टताओं से कम हो तो अंतिम भुगतान, गुणवत्ता भिन्नताओं के समायोजन के पश्चात् किया जाना था।

पोर्ट पर कार्गो की प्राप्ति से लेकर थर्मल पावर प्लांट्स को इसकी सुपुर्दगी तक संपूर्ण कार्यों के लिए एल.ए. उत्तरदायी था और उसे हैंडलिंग चार्जिज का भुगतान किया जाना था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पोर्ट चार्जिज का भुगतान, कस्टम ड्यूटी, रेलवे भाड़ा तथा टैक्स/सांविधिक शुल्क, जिनके लिए वास्तविक आधार पर भुगतान किया जाना था, भी शामिल था।

फर्म ने पी.टी.पी.एस. पानीपत को 9.06 लाख मीट्रिक टन<sup>5</sup> आर.जी.टी.पी.पी. हिसार को 13.97 लाख मीट्रिक टन<sup>6</sup> तथा डी.सी.आर.टी.पी.पी. यमुनानगर को 4.66 लाख मीट्रिक टन<sup>7</sup> कोयला 2012-13 से 2014-15 के दौरान आपूरित किया।

हमने अवलोकित किया कि इस आपूर्ति के विरुद्ध कंपनी ने, पोर्ट पर आयातित कोयले के मूल्य के आधार पर कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया। यद्यपि कंपनी ने अनुबंध में विनिर्दिष्ट गुणवत्ता से भिन्नताओं के कारण ₹ 58.20 करोड़ एल.ए. से वसूल कर लिए थे किंतु उस पर भुगतान की गई कस्टम ड्यूटी, जो ₹ 2.10 करोड़ परिकलित की गई, वसूल नहीं की गई थी। इस प्रकार कंपनी ने, मैसर्ज अदानी एंटरप्राइजिज लिमिटेड को ₹ 2.10 करोड़ की अधिक कस्टम ड्यूटी का भुगतान किया था।

<sup>5</sup> अक्टूबर 2012 के कार्य आदेश के विरुद्ध 10 जलयानों के माध्यम से 6.96 लाख मीट्रिक टन तथा सितंबर 2013 के कार्य आदेश के विरुद्ध 4 जलयानों के माध्यम से 2.10 लाख मीट्रिक टन।

<sup>6</sup> अक्टूबर 2012 के कार्य आदेश के विरुद्ध 7 जलयानों के माध्यम से 5.48 लाख मीट्रिक टन तथा सितंबर 2013 के कार्य आदेश के विरुद्ध 9 जलयानों के माध्यम से 8.49 लाख मीट्रिक टन।

<sup>7</sup> अक्टूबर 2012 के कार्य आदेश के विरुद्ध 5 जलयानों के माध्यम से 2.23 लाख मीट्रिक टन तथा सितंबर 2013 के कार्य आदेश के विरुद्ध 5 जलयानों के माध्यम से 2.43 लाख मीट्रिक टन।

प्रबंधन तथा सरकार ने बताया (नवंबर 2015) कि कस्टम ड्यूटी, आदि जैसे सांविधिक भुगतान, भारत में डिस्चार्ज पोर्ट पर प्राप्त मात्रा पर करना पड़ता है और वह क्रय आदेश/कार्य आदेश के प्रावधान के अंतर्गत वास्तविक अनुसार भुगतान होता है। यदि प्लांटस में प्राप्त निवल समायोजित मात्रा पर कस्टम ड्यूटी के भुगतान के संबंध में प्रावधान किया जाता है तो आपूर्ति/एल.ए., कोयले के आयात के लिए अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय इस तथ्य पर ध्यान देगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। फिर भी, एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर प्लांटस में प्राप्त होने वाले आयातित कोयले की निवल समायोजित मात्रा पर कस्टम ड्यूटी भुगतान करने हेतु नए एन.आई.टी. में प्रावधान किया गया है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि अनलॉडिंग सिरे पर अर्थात् एच.पी.जी.सी.एल. थर्मल पावर स्टेशनों पर प्राप्त परिणामों के अनुसार, भुगतान हेतु पावर स्टेशनों पर हुई मात्रा एवं गुणवत्ता भिन्नताओं के आधार पर समायोजनों के लिए इंगित कार्य आदेश की क्लॉज 6.2 में प्रावधान किया गया था। अतः आयातित कोयले के मूल्य में कटौती के लिए प्लांटस पर वस्तुतः प्राप्त मात्रा के आधार पर कस्टम ड्यूटी के भुगतान समायोजित किए जाने चाहिए थे।

### उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड

#### 3.4 बीमा दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण हानि

घातक दुर्घटनाओं के लिए ग्रुप एक्सीडेंटल बीमा पालिसी की शर्तों के तहत बीमा कंपनियों को दावों के अप्रस्तुतिकरण के कारण कंपनी ने ₹ 0.74 करोड़ की हानि उठाई।

उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (कंपनी) ने अपने स्टाफ अर्थात् राजपत्रित एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के बीमा हेतु 17 जुलाई 2010 से 16 जुलाई 2011 तक की अवधि के लिए घातक एवं अघातक दुर्घटनाओं के विरुद्ध एक ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट पालिसी ली थी (16 जुलाई 2010)। पालिसी की शर्तों के अनुसार, बीमा कंपनी द्वारा प्रत्येक घातक दुर्घटना मामले में ₹ तीन लाख जो 1 अक्टूबर 2010 से ₹ पांच लाख तक बढ़ा दिए गए, की क्षतिपूर्ति दी जानी थी। फील्ड कार्यालयों द्वारा दुर्घटना के 28 दिनों के अंदर दावे, बीमा कंपनी को सूचित किए जाने अपेक्षित थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (फरवरी 2015) कि यद्यपि कंपनी द्वारा बीमा कंपनी को दावे सूचित करने के लिए फील्ड कार्यालयों को दिशानिर्देश समय पर जारी कर दिए गए थे, इसने यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी दावे समय पर सूचित एवं अनुरक्षित किए जा रहे हैं जिससे बीमा कंपनियों से दावे वसूल किए जा सकें, ऐसी कोई आंतरिक नियंत्रण यंत्रावली नहीं बनाई। कंपनी ने जुलाई 2010 से मार्च 2015 के दौरान ₹ 0.96 करोड़ की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया (नौ घातक दुर्घटना मामलों में मुख्य अभियंता, परिचालन, पंचकूला- ₹ 0.58 करोड़ तथा सात घातक दुर्घटना मामलों में मुख्य अभियंता, परिचालन, रोहतक- ₹ 0.38 करोड़) लेकिन बीमा कंपनियों को ₹ 0.74 करोड़<sup>8</sup> के दावे बिलकुल भी सूचित नहीं किए तथा इस प्रकार इसे वसूल करने का अवसर खो दिया।

<sup>8</sup> ₹ 3 लाख X 1 मामला (अक्टूबर 2010 से पहले होने के कारण) जमा ₹ 5 लाख X 8 मामले = ₹ 43 लाख (पंचकूला) + ₹ 5 लाख X 5 मामले जमा ₹ 3.45 लाख + ₹ 2.88 लाख वास्तविक आधार पर = ₹ 31.33 लाख रोहतक।

प्रबंधन (दिसंबर 2015) तथा सरकार (जनवरी 2016) ने अपने उत्तर में बताया कि रोहतक सर्कल में कुल सात मामलों में से, तीन मामलों में दावे (₹ 15 लाख) विलंब से दर्ज किए गए तथा अस्वीकृत कर दिए गए थे और कि दोनों सर्कलज के लिए उत्तरदायिता निर्धारित करने हेतु विभागीय कार्यवाही प्रक्रिया अधीन हैं।

तथ्य रहता है कि कंपनी ने बीमा दावों के प्रस्तुतिकरण एवं वसूली पर नजर रखने के लिए संस्थागत यंत्रावली की अपनी कमी के कारण ₹ 0.74 करोड़ की हानि उठाई।

### 3.5 राजस्व की हानि

**शुल्क दर आदेशों के अननुरूप श्रेणियों के अंतर्गत विद्युत आपूर्ति के कारण कंपनी ₹ 2.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।**

जनवरी 2001 में जारी, विद्युत की आपूर्ति के लिए शुल्क दर तथा कंपनी के सामान्य एवं विविध प्रभारों की सूची में यह प्रावधान किया गया था कि स्कूलों/कालेजों/शैक्षणिक संस्थाओं/रेलवे (ट्रैक्शन को छोड़कर) को 10 के.डब्ल्यू से अधिक सामान्य/मिश्रित भार बल्क सप्लाई (बी.एस.) श्रेणी के अंतर्गत जारी/निर्मुक्त की जाएगी। बिक्री निर्देश (1989 तथा 1993) तथा पुननिर्देश (नवंबर 2006) तथा जनवरी 2001 के टैरिफ आर्डर के अनुसार भी सामान परिसरों में लोड को इकट्ठा किया जाना अपेक्षित था। सितंबर 2010 तक हाई टेंशन (एच.टी.) औद्योगिक एवं बी.एस. उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ समान थे। यह संशोधित किया गया (1 अक्टूबर 2010 से प्रभावी) और नए टैरिफ में विद्युत प्रभार तथा स्थाई प्रभार शामिल थे। बी.एस. श्रेणी के मामले में स्थाई प्रभार स्वीकृत भार (एस.एल.) के आधार पर लगाए जाने थे तथा एच.टी. औद्योगिक श्रेणी के मामले में अनुबंधित मांग (सी.डी.) के आधार पर लगाए जाने थे। बी.एस. उपभोक्ताओं पर तथा 20 किलोवाट से ऊपर संयोजित भार वाले गैर घरेलु आपूर्ति (एन.डी.एस.) उपभोक्ताओं पर स्थाई प्रभार ₹ 130 प्रति किलोवाट प्रति माह की दर पर लगाए जाने थे। पुनः अप्रैल 2014 से, स्थाई प्रभार एच.डी. औद्योगिक तथा बी.एस. दोनों ही श्रेणियों में सी.डी. के आधार पर लगाए गए थे।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया:

(क) राज्य में जगाधरी एवं कालका स्थित उत्तरी रेलवे की दो कार्यशालाएं हैं और उनका एस.एल. एवं सी.डी. क्रमशः 13,288 किलोवाट एवं 5,200 के.वी.ए. तथा 3,407 किलोवाट एवं 900 के.वी.ए. था। इंगित विनियमों के अनुसार इन कार्यशालाओं का विद्युत आपूर्ति कनेक्शन एच.टी. श्रेणी की बजाय बी.एस. श्रेणी के अंतर्गत प्रभारित किया जाना था।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2007-08 के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक)-हरियाणा सरकार, में बी.एस. उपभोक्ता श्रेणी के रेलवे वर्कशापस कालका की, गलत श्रेणी तथा इसके परिणामस्वरूप एच.टी. औद्योगिक उपभोक्ताओं पर लागू छूट के हकदार नहीं होने की सूचना दी गई थी। लोक उपक्रम की समिति में चर्चा (नवंबर 2011) के दौरान विभाग ने श्रेणी में हुई त्रुटि स्वीकार की तथा बताया कि उन्होंने रेलवे पर पीक लोड खपत प्रभार के रूप में ₹ 0.29 करोड़ प्रभारित कर दिए थे जो बृहद् आपूर्ति श्रेणी (अब एच.टी. औद्योगिक श्रेणी) उपभोक्ताओं पर भारित किए जाते थे। तदनुसार, कोपु ने पैरा समाप्त कर दिया था।

हमने अवलोकित किया कि गलत श्रेणी इंगित किए जाने तथा कोपु के समक्ष कंपनी द्वारा स्वीकार किए जाने (नवंबर 2011) के बावजूद उन्होंने बिलिंग के लिए रेलवे वर्कशाप की विद्युत आपूर्ति कनेक्शन की बी.एस. श्रेणी में परिवर्तन हेतु सुधारात्मक कार्यवाही नहीं की। इस प्रकार, टैरिफ की गलत दर लागू करने के कारण कंपनी दिसंबर 2011 से मार्च 2015 तक ₹ 2.34 करोड़<sup>9</sup> के अतिरिक्त राजस्व से वंचित रही।

(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कुरुक्षेत्र (एन.आई.टी.) ने मौजूदा 31 विद्युत आपूर्ति कनेक्शनों (एन.डी.एस.<sup>10</sup> एवं डी.एस.<sup>11</sup> के अंतर्गत जारी) को इकट्ठा करने तथा 2,980 किलोवाट के बी.एस. श्रेणी में विद्युत आपूर्ति कनेक्शन जारी करने हेतु आवेदन किया (जून 2007)। एन.आई.टी. ने उसके लिए ₹ 0.30 करोड़ जमा करवा दिए (जून 2007)। चार वर्षों से अधिक समय बीतने के पश्चात् कंपनी ने एन.आई.टी. को सूचित किया (27 सितंबर 2011) कि रिपोर्टों के अप्रस्तुतिकरण, 11 के.वी. सबस्टेशन स्ट्रक्चर/ट्रांसफार्मरों से पावर इत्यादि के आरंभ न करने के कारण उनका आवेदन रद्द कर दिया गया तथा एन.आई.टी. को अपना आवेदन दुबारा प्रस्तुत करने को कहा। एन.आई.टी. ने लोड को इकट्ठा करने तथा विस्तार करने और 4,560 किलोवाट के संयुक्त लोड के लिए बी.एस. कनेक्शन जारी करने हेतु दुबारा आवेदन किया (30 सितंबर 2011) जो जारी कर दिया गया (नवंबर 2012)। पुनः एन.आई.टी., कुरुक्षेत्र को 31 पावर सप्लाई कनेक्शनों (एन.डी.एस. एवं डी.एस. श्रेणियों में जारी किए गए) में से 1,105 किलोवाट के कनेक्टिड भार वाले आठ कनेक्शन डी.एस. श्रेणी के अंतर्गत थे जिन पर कोई स्थाई प्रभार लागू नहीं था। तथापि, वर्तमान पावर सप्लाई कनेक्शनों को क्लब करने और बी.एस. श्रेणी में पावर सप्लाई कनेक्शन जारी करने में कंपनी द्वारा की गई देरी के कारण इन आठ डी.एस. पावर कनेक्शनों के 1,105 किलोवाट पर अक्टूबर 2010 से लेकर अक्टूबर 2012 तक की अवधि हेतु ₹ 0.36 करोड़ के फिक्सड चार्ज कंपनी वसूल नहीं कर सकी।

प्रबंधन (अक्टूबर तथा दिसंबर 2015) तथा सरकार (जनवरी 2016) ने अपने उत्तर में बताया कि तत्कालीन निर्देशों के अनुसार कनेक्शन जारी करने की तिथि से ही रेलवे वर्कशाप की श्रेणी एच.टी. औद्योगिक थी और बाद में कंपनी के लिए यह एच.टी. औद्योगिक से बल्क सप्लाई में परिवर्तित करना संभव नहीं था क्योंकि अनुबंध एच.टी. औद्योगिक के लिए था और कंपनी अनुबंध से बाहर नहीं जा सकती थी। पुनः राजस्व की कोई हानि नहीं हुई है क्योंकि नए टैरिफ में एच.टी. औद्योगिक आपूर्ति की दरें बल्क सप्लाई दरों से अधिक हैं और एन.आई.टी. कुरुक्षेत्र के मामले में प्रबंधन (अक्टूबर 2015) तथा सरकार (नवंबर 2015) ने बताया कि विलंब, उपभोक्ता द्वारा शर्तों का पालन न करने तथा स्वभाविक प्रक्रिया, जिसने जॉब पूर्ण करने में समय लिया, के कारण था।

उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कंपनी एच.ई.आर.सी. विनियमों से बाहर नहीं जा सकती और केवल इसलिए क्योंकि इससे इसे लाभ होगा तो भी यह गलत श्रेणी के अंतर्गत टैरिफ प्रभारित

<sup>9</sup> रेलवे वर्कशाप, जगाधरी के संबंध में ₹ 1.81 करोड़ तथा रेलवे वर्कशाप, कालका के संबंध में ₹ 0.53 करोड़।

<sup>10</sup> एन.डी.एस. - गैर-घरेलू आपूर्ति।

<sup>11</sup> डी.एस. - घरेलू आपूर्ति।

नहीं कर सकती तथा इसे एच.ई.आर.सी. विनियमों एवं विक्री निर्देशों (1989 एवं 1993) तथा पुनर्निर्देश (नवंबर 2006) एवं जनवरी 2001 के टैरिफ आदेश के रूप में भी समान परिसरों में लोड को इकट्ठा किया जाना था, जो इसके बावजूद की यह इसके स्वयं के हितों के लिए वित्तीय रूप से हानिकारक था, विलंबित हुआ था। इस प्रकार, कंपनी अपनी स्वयं की लापरवाही तथा समयवद्ध पद्धति में सुधारात्मक कार्यवाही करने में हुई विफलता के कारण ₹ 2.70 करोड़ के राजस्व से वंचित रही।

**उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड**

**हरियाणा विद्युत क्रय केंद्र**

### 3.6 अतिरिक्त भुगतान

**आयातित कोयले के सकल कैलोरिफिक मूल्य में हास के परिणामस्वरूप ₹ 75.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान हुआ।**

हरियाणा विद्युत क्रय केन्द्र (एच.पी.पी.सी.) ने विद्युत के क्रय के लिए, मैसर्ज चाइना लाइट पावर (सी.एल.पी.) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई की सहायक कंपनी मैसर्ज झज्जर पावर लिमिटेड (जे.पी.एल.) के साथ एक विद्युत क्रय अनुबंध (पी.पी.ए.) किया (07 अगस्त 2008)। तदनुसार, हरियाणा की विद्युत आवश्यकता पूरी करने हेतु मैसर्ज जे.पी.एल. द्वारा 1,320 मैगावाट (मै.वा.) महात्मा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झज्जर में स्थापित किया गया। पी.पी.ए. की सूची 7 के अनुसार, टैरिफ मासिक आधार पर तथा (i) क्षमता/स्थायी प्रभार एवं (ii) विद्युत/परिवर्तनीय प्रभार से समायुक्त दो भागों में भुगतान किया जाना था। वार्षिक क्षमता प्रभारों (फिक्सड लागत) की वसूली, अनुमोदित प्लांट लोड फैक्टर (पी.एल.एफ.) के मानकों से संबंधित है। विद्युत/परिवर्तनीय प्रभार, निवल उद्धृत उष्णता दर अर्थात् 2,396 किलोकैलोरी/प्रति किलोवाट-आवर एवं कोयले की लागत तथा खपत के समय कोयले के सकल कैलोरिफिक मूल्य (जी.सी.वी.) पर आधारित थे। ऊर्जा प्रभारों के भुगतान के लिए सूत्र<sup>12</sup> के अनुसार, कोयले की लागत में वृद्धि या कोयले की जी.सी.वी. में कमी के परिणामस्वरूप, एच.पी.पी.सी. को बिल प्रस्तुत करने के लिए, ऊर्जा प्रभारों में वृद्धि होगी। जे.पी.एल. विद्युत के उत्पादन के लिए देशी कोयले के साथ आयातित कोयले (उच्च लागत के साथ उच्चतर जी.सी.वी. वाला) का प्रयोग कर रही थी।

हमने अवलोकित किया कि अगस्त 2013 से मार्च 2015 के दौरान अनलोडिंग के समय जी.सी.वी. की तुलना में उपभोग के समय आयातित कोयले की जी.सी.वी. कम थी और यह 150 से 690 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम के मध्य थी। परंतु पी.पी.ए. में जे.पी.एल. को भुगतान के उद्देश्य से जी.सी.वी. में होने वाली कमी को सीमित करने के लिए कोई क्लॉज नहीं था। आयातित कोयले की जी.सी.वी. में कमी के कारण एच.पी.पी.सी. को अगस्त 2013 से मार्च 2015

<sup>12</sup> ऊर्जा प्रभार भुगतान = उद्धृत निवल ऊष्मा दर (2,396 किलोकैलोरी/प्रति किलोवाट-आवर) X कोयले की भारित औसत दर (₹/किलोग्राम)/भारित औसत जी.सी.वी. (किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम)।



की अवधि के लिए जे.पी.एल. को ₹ 75.39 करोड़<sup>13</sup> का अतिरिक्त भुगतान करना पड़ा। इसके अतिरिक्त, जे.पी.एल. को अधिक भुगतान के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत की उच्चतर लागत वहन करनी पड़ी।

एच.पी.पी.सी. ने अपने उत्तर में बताया (मार्च 2015) कि कोयले की जी.सी.वी. में कमी के विभिन्न कारण थे जैसे कोयले की प्राप्ति और बॉयलर में इसकी अंतिम फीडिंग के मध्य काफी अंतराल होना, कोयले के सूख जाने के कारण वाष्पशीलता की हानि, कोयला यार्ड में स्वतः प्रज्वलन इत्यादि। इसके अतिरिक्त, कोई असीमित आश्वासन नहीं था कि अनलोडिंग के समय लिए गए नमूने हमेशा पूरे ढेर के सच्चे द्योतक हों। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि एच.पी.पी.सी. ने विभिन्न घटकों, जिनके परिणामस्वरूप जी.सी.वी. के मूल्य में कमी हो, को ध्यान में रखते हुए जी.सी.वी. के मूल्य में कमी के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं की थी। इसके अतिरिक्त, पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड बनाम पंजाब राज्य बिजली नियामक आयोग के मामले में बिजली के लिए एपीलेट ट्रिब्यूनल (ए.पी.टी.ई.एल.) ने भी कहा (दिसंबर 2014) कि थर्मल पावर स्टेशनों में प्राप्त करने और आग जलाने या कोयला कोठरी तक जी.सी.वी. में कमी 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम की सीमा में कम की जा सकती थी। जी.सी.वी. में कमी के मामले में भुगतान को सीमित करने के लिए पी.पी.ए. में कोई क्लॉज शामिल न करने के कारण, कंपनी ने मैसर्ज जे.पी.एल. को ₹ 75.39 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया।

पुनः, एच.पी.पी.सी. (सितंबर 2015) और सरकार (नवंबर 2015) ने बताया कि एज रिसेव्ड बेसिस (ए.आर.बी.) पर जी.सी.वी. की तुलना में एयर ड्राईड बेसिस (ए.डी.बी.) पर जी.सी.वी. हमेशा काफी अधिक होगा क्योंकि जी.सी.वी. (ए.डी.बी.) को मापने में सतह की नमी का ध्यान नहीं रखा जाता है। उत्तर प्रासंगिक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा में प्राप्त कोयले और जलाते समय कोयले की जी.सी.वी. की तुलना ए.डी.बी. आधार पर की गई है। एच.पी.पी.सी. ने यह भी बताया कि ए.पी.टी.ई.एल. निर्णय जे.पी.एल. पर लागू नहीं है। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा ने इंगित किया है कि कोयले की जी.सी.वी. में कमी को सीमित करने के लिए अनुबंध में कोई उपयुक्त प्रावधान नहीं था और इस प्रकार जे.पी.एल. की कमियां डिस्कोम्ज को अग्रेषित कर दी गई हैं। जी.सी.वी. में 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम की कमी की गुंजाइश केवल अतिरिक्त भुगतान परिकलित करने की सूचक है।

उत्तरोत्तर, केंद्रीय बिजली नियामक आयोग ने अपने 2014-19 के विनियमनों में पावर प्लांट पर कोयले की प्राप्ति के समय पर के जी.सी.वी. के आधार पर ही भिन्न-भिन्न ऊर्जा प्रभारों के भुगतान का प्रावधान किया है और पावर प्लांट में जी.सी.वी. के मूल्य में कमी की गुंजाइश का कोई प्रावधान नहीं किया है। तथापि, लेखापरीक्षा ने संतुलित अवलोकन किया है और 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम की गुंजाइश अनुमत करने के पश्चात् ही हानि परिकलित की।

<sup>13</sup> 150 किलोकैलोरी प्रति किलोग्राम जी.सी.वी. की कमी की गुंजाइश अनुमत करने के पश्चात् परिकलित।

### 3.7 ठेका कार्यों के कार्यान्वयन में हानि

**डिस्कोम्ज ने अनुबंध की अनियमित निरस्तगी और ठेकेदारों को अधिक भुगतान के कारण ₹ 33.51 करोड़ की हानि उठाई।**

दो विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कोम्ज) अर्थात् उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यू.एच.बी.वी.एन.एल.) तथा दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (डी.एच.बी.वी.एन.एल.) द्वारा कृषि लोड को ग्रामीण घरेलू लोड से अलग करने के लिए 11 के.वी. के अतिरिक्त फीडर्ज की आपूर्ति तथा प्रस्थापन के लिए अनुबंध दिए गए जो अब तक सामान्य फीडर्ज द्वारा पोषित किए जा रहे थे।

क. यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 33.89 करोड़ की लागत पर माल की आपूर्ति और प्रस्थापन हेतु 11 के.वी. के 145<sup>14</sup> फीडर्ज के निर्माण के लिए मैसर्ज टैराकोम को अनुबंध दिया (15 जून 2007) जो 31 मार्च 2008 तक पूर्ण करने थे। कार्य विलंबित हो गया तथा 31 दिसंबर 2008 तक उसके समय विस्तारण की संस्वीकृति दे दी गई। इस विस्तारण अवधि के दौरान यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने निर्माण कार्यों में विलंब के लिए 15 दिनों का कारण बताओ नोटिस जारी किया (26 नवंबर 2008) और कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के पश्चात् 10 दिसंबर 2008 को अनुबंध समाप्त कर दिया। उस समय तक मैसर्ज टैराकोम ने ₹ 21.15 करोड़<sup>15</sup> का कार्य कर दिया था जिसके विरुद्ध ₹ 2.40 करोड़ के विलंब जुर्माने की कटौती करने के पश्चात् ₹ 10.59 करोड़ का भुगतान कर दिया गया।

ठेकेदार ने यू.एच.बी.वी.एन.एल. को एक आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए अभिवेदन कर दिया (जनवरी 2009) जिसने निरस्तन को गैर-कानूनी करार दिया (30 जुलाई 2011) क्योंकि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने नोटिस जारी करने की तिथि से 14वें दिन ही और वह भी विस्तारित पूर्णता अवधि के भीतर (31 दिसंबर 2008 तक) अनुबंध निरस्त किया था। उसने यू.एच.बी.वी.एन.एल. को देय राशि के भुगतान तथा यू.एच.बी.वी.एन.एल. के ₹ 6.29 करोड़<sup>16</sup> के दावों को अस्वीकार करने के अतिरिक्त ब्याज सहित बैंक गारंटी जारी करने का आदेश दिया। कंपनी ने ₹ 4.53 करोड़ के ब्याज सहित किए गए कार्य की लागत की बकाया राशि ₹ 10.54 करोड़ का भुगतान कर दिया। आर्बिट्रेशन निर्णय के विरुद्ध पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में दायर कंपनी की अपीलें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर स्पेशल लीव पेटिशन क्रमशः 19 मार्च 2014 और 11 जुलाई 2014 को खारिज कर दी गई।

हमने अवलोकित किया कि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने अनुबंध निरस्त करते समय अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों को अनदेखा किया और इस प्रकार ₹ 6.29 करोड़ के दावों की अवसूली और

<sup>14</sup> बाद में कम करके 121 कर दिया गया था।

<sup>15</sup> ₹ 20.54 करोड़ मूल्य के माल की आपूर्ति की तथा ₹ 0.61 करोड़ मूल्य का प्रस्थापन कार्य निष्पादित किया।

<sup>16</sup> विलंब जुर्माना ₹ 2.40 करोड़, परिसमाप्ति क्षतियां ₹ 1.69 करोड़ और छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने पर किया गया अतिरिक्त व्यय ₹ 2.20 करोड़।

भुनाई न गई बैंक गारंटी पर ₹ 1.72 करोड़ के ब्याज के कारण कुल ₹ 8.01 करोड़ की हानि उठाई।

आर्बिट्रेशन निर्णय के अनुसार मैसर्ज टैराकोम को भुगतान के पश्चात्, यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने बाद में आंकड़ा-मिलान (जुलाई 2014) के दौरान अवलोकित किया कि ठेकेदार ने ₹ 1.07 करोड़ मूल्य का उसको दिया गया माल नहीं लौटाया था और ठेकेदार के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया (जुलाई 2014)। तथापि, कार्रवाई अभी प्रारंभ की जानी है (नवंबर 2015)। इस प्रकार, आपूरित माल के मिलान में विलंब के कारण, यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 1.36 करोड़ (₹ 0.29 करोड़ के ब्याज सहित)<sup>17</sup> का अधिक भुगतान किया।

यू.एच.बी.वी.एन.एल. (जुलाई 2015) और सरकार (नवंबर 2015) ने उत्तर दिया कि अनुबंध इसलिए समाप्त किया गया था क्योंकि ठेकेदार निष्पादन समय-सारणी के अनुरूप निर्माण कार्यों को निष्पादित करने में विफल रहा था, न्यायालयों के निर्णय के अनुसार उसको भुगतान किया गया था और ₹ 1.36 करोड़ की वसूली/लेखाकरण के लिए कानूनी कार्यवाहियाँ प्रक्रिया अधीन है तथा तदनुसार कानूनी मामला दर्ज किया जाएगा। तथ्य यही रहा कि निरस्तगी गैर-कानूनी थी जैसा आर्बिट्रेटर ने भी कहा क्योंकि यू.एच.बी.वी.एन.एल. ने कार्य पूर्ण करने के लिए इसके द्वारा संस्वीकृत विस्तारण अवधि की समाप्ति से पहले ही अनुबंध निरस्त कर दिया था।

ख. डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने भी मैसर्ज टैराकोम को 29 अक्टूबर 2007 तक पूर्ण करने के लिए ₹ 154.50 करोड़ की कुल लागत पर 261 फीडर्ज के निर्माण के लिए चार टर्नकी निर्माण कार्य प्रदान किए (30 मार्च 2007)। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने विलंब अवलोकित करते हुए 10 दिसंबर 2008 को अनुबंध समाप्त कर दिया।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार, ₹ 36.34 करोड़<sup>18</sup> मैसर्ज टैराकोम से वसूलनीय थे। इसके विरुद्ध डी.एच.बी.वी.एन.एल. के पास ₹ 33.86 करोड़<sup>19</sup> की कवरेज/प्रतिभूति थी। मैसर्ज टैराकोम ने अनुबंध की निरस्तन के विरुद्ध सिविल न्यायालय में एक मामला दर्ज कराया (दिसंबर 2008) जो कि रद्द कर दिया गया (जनवरी 2009)।

मामला आर्बिट्रेशन में चला गया जहां डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने विलंब जुर्माना और लिक्विडेटिड डैमेजिज (एल.डी.) ₹ 34.76 करोड़ से कम करके ₹ 11.85 करोड़<sup>20</sup> करने के लिए एक समझौता करार का प्रस्ताव दिया (जून 2011)। कंपनी ने ₹ 24.14 करोड़ की कवरेज/प्रतिभूति मुक्त कर दी (जुलाई 2011-फरवरी 2012)। तथापि, मैसर्ज टैराकोम ने डी.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा परिकल्पित राशि पर विवाद किया (जनवरी 2012)। डी.एच.बी.वी.एन.एल. के निदेशक मंडल (बी.ओ.डी.) ने महाअधिवक्ता, हरियाणा से कानूनी राय प्राप्त करने का निर्णय लिया (अक्टूबर 2012) जिन्होंने योग्यता-आधार पर मामले पर कानूनी-विवाद करने की राय दी

<sup>17</sup> आर्बिट्रेशन अभिवेदन की तारीख अर्थात् जुलाई 2011 से जुलाई 2014 अर्थात् भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर पर ब्याज।

<sup>18</sup> ₹ 19.31 करोड़ का विलंब जुर्माना, ₹ 15.45 करोड़ का एल.डी. और छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने में ₹ 1.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय।

<sup>19</sup> जनवरी 2009 में नकदीकरण किया गया ₹ 18.41 करोड़ का अवरोधन धन और ₹ 15.45 करोड़ का बी.जी.।

<sup>20</sup> ₹ 8.81 करोड़ का विलंब जुर्माना और ₹ 3.04 करोड़ का एल.डी.।

(जनवरी 2013)। डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने समझौते के निबंधनों को हटाने की मांग के लिए आर्बिट्रेटर के पास अभिवेदन दर्ज कर दिया (18 मार्च 2013)। इसी दौरान मैसर्स टैराकाम को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी.आई.एफ.आर.) के पास भेज दिया गया (अक्टूबर 2014)।

हमने अवलोकित किया कि इस तथ्य के बावजूद कि सिविल न्यायालय ने योग्यता आधार पर मामले का निर्णय पहले ही इसके पक्ष में दे दिया था डी.एच.बी.वी.एन.एल. समझौते के प्रस्ताव के लिए सहमत हो गया। पुनः, बी.ओ.डी. से इस समझौता-प्रस्ताव के अनुमोदन के बिना ही कवरेज/प्रतिभूति मुक्त कर दी जिस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ निदेशक मंडल/एच.पी.पी.सी. की अनन्य क्षमता के भीतर आने वाले निबंधन शामिल थे। इस प्रकार, डी.एच.बी.वी.एन.एल. ने ₹ 24.14 करोड़ की अनियमित निर्मुक्ति द्वारा मैसर्स टैराकोम को अदेय लाभ दिया और स्वयं को ₹ 10.56 करोड़<sup>21</sup> की ब्याज हानि उठाने के अतिरिक्त ₹ 24.49<sup>22</sup> करोड़ की वसूली के रूप में उपलब्ध कवरेज से वंचित रखा (अगस्त 2015)। पुनः, डी.एच.बी.वी.एन.एल. के मामला जीत जाने पर भी वसूली संदेहास्पद है क्योंकि मैसर्स टैराकाम पहले ही बी.आई.एफ.आर. के पास चला गया है।

मामला सरकार और डी.एच.बी.वी.एन.एल. के पास भेजा गया था (जुलाई 2015); उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2016)।

### हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड

#### 3.8 अतिरिक्त व्यय

कंपनी ने उच्चतर दर पर ट्रांसफार्मरों की खरीद में ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

25/31.5 एम.वी.ए. रेटिंग के छः विद्युत ट्रांसफार्मरों की खरीद के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (कंपनी) की भंडार खरीद समिति (एस.पी.सी.) ने वित्तीय बोलियां खोली (25 अप्रैल 2011) जिसमें ₹ 3.52 करोड़ प्रति ट्रांसफार्मर की निम्नतम समीकृत दर<sup>23</sup> मैसर्स टैक्नीकल एसोसिएट्स लिमिटेड (एल-1) की थी। एस.पी.सी. ने बैठक के दौरान पूर्णकालिक निदेशको<sup>24</sup> (डब्ल्यू.टी.डी.जी) को अवगत करवाया (17 मई 2011) कि एल-1 फर्म, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एम.वी.वी.एन.एल.), उत्तर प्रदेश द्वारा 12 अगस्त 2010 को ब्लैकलिस्ट कर दी गई थी, परंतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फर्म की ब्लैकलिस्टिंग को स्थगित कर दिया था (22 दिसंबर 2010)। डब्ल्यू.टी.डी.जी ने यूटिलिटी स्तर उच्च शक्ति क्रय

<sup>21</sup> ₹ 24.14 करोड़ x 12.5/100 x 42 माह/12 माह।

<sup>22</sup> वसूलनीय राशि में ₹ 10.50 करोड़ का विलंब जुर्माना, ₹ 12.41 करोड़ का एल.डी. और छोड़े गए कार्य को पूर्ण करने में ₹ 1.58 करोड़ का अतिरिक्त व्यय शामिल है।

<sup>23</sup> यह एफ.ओ.आर. गंतव्य कीमत (₹ 157.54 लाख) और ट्रांसफार्मर के उपयोग पर ट्रांसफोरमेशन हानियों के पूंजीकरण के कारण लोडिंग (₹ 194.61 लाख) का योग है।

<sup>24</sup> निदेशक/परियोजना, निदेशक/तकनीकी, निदेशक/वित्त, मुख्य अभियंता और प्रबंध निदेशक से युक्त।

समिति<sup>25</sup> (यू.एल.एच.पी.पी.सी.) को एल-1 फर्म के बारे में विचार करने की सिफारिश की (14 जुलाई 2011) क्योंकि इसकी ब्लैकलिस्टिंग भिन्न विद्युत रेटिंग के ट्रांसफार्मरों के कारण थी और 25/31.5 एम.वी.ए. रेटिंग ट्रांसफार्मरों के लिए कोई प्रतिकूल रिपोर्ट सूचित नहीं की गई थी। एल-1 और एल-2 की दरों के मध्य कुल समीकृत लागत में ₹ 1.41 करोड़<sup>26</sup> का भारी अंतर था। तथापि, यू.एल.एच.पी.पी.सी. ने एल-2 फर्म (मैसर्ज विजय इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड) और एल-3 फर्म (मैसर्ज ई.सी.ई. इंडस्ट्रीज लिमिटेड) को ₹ 3.76 करोड़ प्रति ट्रांसफार्मर के एल-2 फर्म की समीकृत दर पर प्रत्येक को तीन ट्रांसफार्मरों का आदेश यह ध्यान में रखते हुए दे दिया (20 जुलाई 2011) कि एल-1 फर्म के ब्लैकलिस्टिंग के आदेश की अनिश्चितता के कारण सुरक्षा और विश्वसनीयता से समझौता नहीं किया जा सकता था। चूंकि खरीद प्रस्ताव का कुल मूल्य अब ₹ 10.04 करोड़ था, राज्य स्तरीय उच्च शक्ति क्रय समिति (एस.एल.एच.पी.पी.सी.) का अनुमोदन अपेक्षित था परंतु कंपनी ने प्रक्रिया को नजरअंदाज करते हुए एल-2 और एल-3 फर्मों को स्वीकृति पत्र (एल.ओ.ए.) जारी कर दिए (3 अगस्त 2011)। इसी बीच, एल-1 फर्म की ब्लैकलिस्टिंग 5 अगस्त 2011 को रद्द कर दी गई। बोलियों की वैधता 31 अगस्त 2011 तक थी। कंपनी को निरस्तगी की सूचना 9 अगस्त 2011 को प्राप्त हुई। एस.एल.एच.पी.पी.सी. ने 20 जुलाई 2011 को यू.एल.एच.पी.पी.सी. द्वारा लिए गए निर्णय की कार्योत्तर स्वीकृति का अनुमोदन प्रदान कर दिया (21 सितंबर 2011)।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि एल-1 फर्म को नजरअंदाज करने तथा एल-2 और एल-3 फर्मों को आदेश देने का प्रारंभिक निर्णय न्यायसंगत नहीं था क्योंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कंपनी द्वारा 12 जनवरी 2011 को तकनीकी बोलियों को खोलने से पहले ही 22 दिसंबर 2010 को एल-1 फर्म के ब्लैकलिस्टिंग के आदेशों को स्थगित कर दिया था। यू.एल.एच.पी.पी.सी. भी निर्णय लेने में सक्षम नहीं थी क्योंकि खरीद मूल्य ₹ 10 करोड़ से अधिक था। वित्तीय प्रभावों, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश और बोलियों की वैधता समाप्त होने तक उपलब्ध पर्याप्त समय (9 अगस्त 2011 से 31 अगस्त 2011) को ध्यान में रखते हुए, कंपनी को प्रस्तावों का पुनरावलोकन करना चाहिए था तथा एल-1 फर्म को आदेश जारी करना चाहिए था।

एल-1 फर्म, जो योग्य थी और कंपनी के साथ संतोषजनक ट्रैक रिकार्ड रखे हुए थी, उसको नजरअंदाज करके एल-2 और एल-3 फर्म को कार्य प्रदान करने का कंपनी का निर्णय अनुचित था जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.41 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

प्रबंधन (अगस्त 2015) और सरकार (नवंबर 2015) ने अपने उत्तर में बताया कि फर्म को ब्लैकलिस्टिंग को छिपाने के कारण ही नहीं बल्कि विद्युत ट्रांसफार्मरों के घटिया निष्पादन पर एम.वी.वी.एन.एल. द्वारा ब्लैकलिस्टिंग किए जाने के कारण भी नजरअंदाज किया गया था। प्रबंधन ने आगे बताया कि यू.एल.एच.पी.पी.सी. ने इकाई दरों को अनुमोदित कर दिया था और क्रय आदेश तैयार करते समय यह पाया गया कि कुल खरीद का मूल्य ₹ 10 करोड़ से अधिक था और तदनुसार एस.एल.एच.पी.पी.सी. से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किया गया था।

<sup>25</sup> पूर्णकालिक निदेशकों, चेयरमैन, विद्युत यूटिलिटीज हरियाणा और वित्तीय सलाहकार, वित्त विभाग हरियाणा से युक्त।

<sup>26</sup> ₹ 375.53 लाख (एल-2) - ₹ 352.15 लाख (एल-1) x 6 ट्रांसफार्मर।

उत्तर न्यायोचित नहीं है क्योंकि यू.एल.एच.पी.पी.सी. द्वारा एल-1 को नजरअंदाज करने का निर्णय (20 जुलाई 2011) और एल-2 बोलीकर्ता द्वारा उद्धृत दरें स्वीकार करना इसकी सक्षमता के बाहर था तथा इसे मोल-भाव करने और खरीद का निर्णय लेने की बजाय इस मामले पर निर्णय लेने का प्रस्ताव एस.एल.एच.पी.पी.सी. के समक्ष रखना चाहिए था। पुनः, फर्म द्वारा ब्लैकलिस्टिंग का तथ्य प्रकट करना कानूनी रूप से अपेक्षित नहीं था क्योंकि उसे न्यायालय द्वारा स्थगित किया जा चुका था तथा फर्म ने एच.वी.पी.एन.एल. को पहले भी इन ट्रांसफार्मों की आपूर्ति की थी जिन पर इसकी कोई प्रतिकूल रिपोर्ट नहीं थी।

### हरियाणा राज्य औद्योगिक और मूलभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड

#### 3.9 एक आबंटी को अनुचित लाभ

कंपनी ने विस्तारण फीस पर ब्याज प्रभारण न करके एक आबंटी को ₹ 1.89 करोड़ का अनुचित लाभ अनुमत किया।

कंपनी ने फेज- VI, उद्योग विहार, गुड़गांव में 8,800 वर्ग मीटर का एक प्लॉट ₹ 0.62 करोड़ की लागत पर मैसर्ज इंडियन होटल कंपनी लिमिटेड (आबंटी) को लांड्री इकाई स्थापित करने के लिए आबंटित किया (अक्टूबर 1994)। आबंटी ने 12 अक्टूबर 1995 को प्लॉट का कब्जा ले लिया। आबंटन और समय-समय पर संशोधित औद्योगिक नीति के निबंधनों और शर्तों के अनुसार आबंटी को 29 अप्रैल 2001<sup>27</sup> तक अनुमत आवृत्त क्षेत्र (पी.सी.ए.) के कम से कम 25 प्रतिशत में निर्माण करना था और वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ करनी थी, जिसमें विफल होने पर प्लॉट वापस लिए जाने के लिए वह दायी था। आबंटी ने अपेक्षित निर्मित क्षेत्र का निर्माण तो जुलाई 2001 तक पूर्ण कर दिया परंतु इसने कोई वाणिज्यिक गतिविधि प्रारंभ नहीं की थी। कंपनी ने आबंटी को कई कारण बताओ नोटिस नियमित रूप से जारी किए (अगस्त 2001 से दिसंबर 2012) परंतु आबंटी ने या तो नोटिसों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं की या कुछ नोटिसों की प्रतिक्रिया में परियोजना के कार्यान्वयन में विस्तारण का आग्रह किया। कंपनी ने न तो विस्तारण अनुमत किया और न ही प्लॉट वापस लिया।

कंपनी ने एक और कारण बताओ नोटिस जारी किया (दिसंबर 2012) जिसकी प्रतिक्रिया में आबंटी ने सूचित किया (मई 2013) कि उसकी लांड्री परियोजना कार्यान्वित नहीं हो पाई क्योंकि होटल उद्योग को हाल के वर्षों के दौरान बुरी तरह आघात लगा था और मुंबई में उनके ग्रुप होटल पर आतंकी हमला भी हुआ था। आबंटी ने यह भी सूचित किया कि उसने परियोजना पर दुबारा कार्य शुरू किया है और इसे जनवरी 2014 तक पूर्ण करने की स्थिति में होगा। उसने लागू नियमों के अनुसार सभी लागू प्रभारों, विस्तारण फीस आदि के भुगतान करके समयावधि में अनुकूल विस्तारण की संस्वीकृति के लिए निवेदन किया। प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में ऐसे मामलों के निपटान के लिए शक्तिप्रदत्त स्थाई समिति की सिफारिशों पर कंपनी ने परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब की अवधि को विनियमित कर दिया और अपनी संपदा प्रबंधन प्रक्रिया (ई.एम.पी.) 2011 के अनुसार ₹ 250 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष की विस्तारण फीस के भुगतान पर, परंतु बिना ब्याज लगाए जो एक सिफारिश भी थी,

<sup>27</sup> विस्तारण फीस के भुगतान पर आबंटी को अनुमत एक वर्ष की विस्तारण की अधिकतम अवधि सहित।

29 अप्रैल 2015 तक विस्तारण की अनुमति दे दी (मार्च 2014)। आबंटी ने फरवरी से अप्रैल 2014 के दौरान ₹ 3.08 करोड़ की विस्तारण फीस जमा करवा दी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि ई.एम.पी. 2011 में प्रावधान है कि परियोजना के कार्यान्वयन में विस्तारण की स्वीकृति विस्तारण फीस और विलंबित अवधि के लिए देय राशि पर 11 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के भुगतान की शर्त पर होगी। कंपनी के नियमों/नीति में विस्तारण फीस पर ब्याज छोड़ने का कोई प्रावधान नहीं था। इस प्रकार, कंपनी ने विस्तारण फीस पर ब्याज न लगाकर जो ₹ 1.89 करोड़<sup>28</sup> परिकलित हुई, आबंटी को अदेय लाभ प्रदान किया जो इसके ई.एम.पी. 2011 के उल्लंघन में था।

कंपनी तथा सरकार ने अपने उत्तर में बताया (अक्टूबर 2015) कि कार्रवाई, निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित की गई थी जिसने ई.एम.पी. 2011 अनुमोदित किया था और समय-समय पर उसमें परिवर्तन किए थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप आबंटी को अनुचित लाभ तथा कंपनी को ₹ 1.89 करोड़ की हानि हुई थी।

### 3.10 अतिरिक्त व्यय

**उद्धृत कीमत की अस्वीकृति के प्रावधान के परिणामस्वरूप बोली प्रक्रिया में विषमता आई जिसके कारण ₹ 1.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।**

चरणबद्ध रूप में संपदा प्रबंधन, केंद्रीय लेखा प्रणाली और पुनःस्थापना तथा पुनर्वास हेतु वार्षिक भुगतान प्रबंधन के लिए इंटरनेट आधारित एप्लीकेशन के विकास, कार्यान्वयन और रख-रखाव हेतु कंपनी ने एक एजेंसी नियुक्त करने के लिए निवेदन-प्रस्ताव (आर.एफ.पी.) दर्ज किया (जनवरी 2012)। बोली प्रक्रिया एक द्वि-चरणीय मूल्यांकन था। आर.एफ.पी. की धारा 4.1.2 के अनुसार केवल वे बोलीकर्ता, जिनकी पूर्व-योग्यता सह तकनीकी-बोलियों में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक थे, वित्तीय बोली के लिए योग्य थे। आर.एफ.पी. की धारा 4.1.3 में प्रावधान था कि औसत उद्धृण के 50 प्रतिशत से कम या अधिक मूल्य वाला उद्धृण तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। बोलीकर्ता का चयन तकनीकी अंकों के लिए 70 प्रतिशत और वित्तीय अंकों के लिए 30 प्रतिशत महत्व के आधार पर परिकलित उच्चतम अंतिम अंकों के आधार पर किया जाना था (धारा 4.2)।

कंपनी ने सात बोलियां प्राप्त की जो 29 फरवरी 2012 को खोली गईं जिनमें से तीन बोलीकर्ताओं ने पूर्व-योग्यता सह तकनीकी-बोली मूल्यांकन मानदंड में योग्यता प्राप्त की। तीन योग्य बोलाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां 26 मार्च 2012 को खोली गईं जिसके परिणाम निम्नानुसार थे:

क्र.सं.	बोलीकर्ता का नाम	वित्तीय उद्धृण (कर छोड़कर) ₹ में	तकनीकी अंक
1.	मैसर्ज मार्स टेलीकॉम सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	65,25,000	83
2.	मैसर्ज सिल्वरटच टैक्नोलोजीज लिमिटेड, अहमदाबाद	1,92,15,201	80
3.	मैसर्ज देव इन्फारमेशन टैक्नोलोजीज लिमिटेड, अहमदाबाद	2,25,00,000	82

<sup>28</sup> 2001-02 से 2012-13 की अवधि के लिए 11 प्रतिशत प्रतिवर्ष पर देय ₹ 22 लाख की वार्षिक विस्तारण फीस पर परिकलित क्योंकि राशि फरवरी 2014 से अप्रैल 2014 के दौरान प्राप्त हुई थी।

मैसर्ज मार्स टेलीकॉम की बोली न्यूनतम होते हुए भी आर.एफ.पी. दस्तावेज की धारा 4.1.3 के तहत अयोग्य कर दी गई क्योंकि यह तीनों बोलीकर्ताओं के औसत उद्धृणों (₹ 80.40 लाख)<sup>29</sup> के 50 प्रतिशत से कम थी। अन्य दो बोलीकर्ताओं की बोलियां अंतिम अंकों के निर्धारण के लिए ली गईं। आर.एफ.पी. दस्तावेज की धारा 4.1.4 के तहत शेष दोनों बोलकर्ताओं के अंतिम अंक परिकलित किए गए और 86 अंक प्राप्त करने वाले मैसर्ज सिल्वरटच टेकनोलोजीज लिमिटेड को ₹ 1.92 करोड़ का कार्य प्रदान कर दिया गया (जून 2012)। संपूर्ण कार्य 31 मई 2013 से पहले पूर्ण किया जाना था परंतु अब (नवंबर 2015) पूर्ण किया गया है।

हमने अवलोकित किया (फरवरी 2014) कि धारा 4.1.3 (वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित करने के लिए) आर.एफ.पी. दस्तावेज में सूचना प्रौद्योगिकी सचिवालय, हरियाणा सरकार द्वारा 14 नवंबर 2011 को आई.टी. और ई.-गवर्नेंस परियोजनाओं के लिए परामर्शदाता/सिस्टम इंटीग्रेटर नियुक्त करने के लिए जारी किए मार्गनिर्देशों के आधार पर डाली गई थी। इन मार्गनिर्देशों को परिचालित करने में सरकार ने इंगित किया था कि वे अधिक से अधिक केवल सूचक थे और प्रगामी परिपक्वता पर आधारित सुधारात्मक प्रबंध के लिए वहां अवसर दिया गया था। अतः मार्गनिर्देश अनिवार्य नहीं थे। पुनः, यह अवलोकित किया गया कि कोई लागत अनुमान तैयार नहीं किए गए थे।

कंपनी ने फिर भी मार्गनिर्देशों को पूर्ण रूप में अपनाया। मार्गनिर्देशों के अनुच्छेद 14 के परिशिष्ट-क में उल्लेख था कि “कीमत उद्धृणों, जो बहुत कम या बहुत अधिक थे, पर विचार न करने के प्रावधान को भी ‘गुणवत्ता और लागत आधारित चयन’ प्रणाली में आने वाली विषमता को छांटने के रूप में अपनाया जा सकता है, जैसे कि जो उद्धृण औसत उद्धृत कीमत के 50 प्रतिशत से कम हैं उन पर विचार न करना” और कंपनी ने आर.एफ.पी. में इस प्रावधान को शामिल किया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यह प्रावधान उन निविदाओं के मामले में शामिल नहीं किया जाना चाहिए जहां द्वि-भागीय बोली (तकनीकी और वित्तीय) आमंत्रित की जाती है क्योंकि तकनीकी बोलियां, बोलीकर्ताओं के आदेश के कार्यान्वयन में सक्षमता का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित की जाती हैं। एक बार बोलीकर्ता तकनीकी रूप से योग्य हो जाए तो यह स्पष्ट होने पर कि बोलीकर्ता कार्य के कार्यान्वयन में सक्षम है, वित्तीय बोली केवल न्यूनतम बोलीकर्ता का पता लगाने के लिए खोली जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त, तकनीकी स्वीकृति के बारे में और अधिक आश्वासन प्रदान करने हेतु धारा 4.1.4 के अंतर्गत अंतिम अंकों में तकनीकी इनपुट के लिए 70 प्रतिशत का महत्व पहले ही दिया जा चुका था। उपर्युक्त मामले में, न्यूनतम बोलीकर्ता (एल-1) अर्थात् मैसर्ज मार्स टेलीकॉम ने पूर्व-योग्यता सह तकनीकी-बोली में उच्चतम अंक (83) प्राप्त किए थे जिसने दर्शाया कि वे कार्य आदेश के कार्यान्वयन में सक्षम थे। तथापि, चूंकि कंपनी ने आर.एफ.पी. में अनुचित प्रावधान शामिल किया था कि औसत उद्धृण के 50 प्रतिशत से अधिक मूल्य वाले या 50 प्रतिशत से कम मूल्य वाले उद्धृण को अस्वीकृत किया जाएगा, इसे न्यूनतम बोलीकर्ता को अस्वीकार करना पड़ा। किन्हीं अनुमानों के अभाव में, उनके पास बोलीकर्ता की गंभीरता मूल्यांकित करने के और कोई अन्य उपाय नहीं थे।

<sup>29</sup>

(₹ 65.25 लाख + ₹ 192.15 लाख + ₹ 225 लाख) / 3 = ₹ 160.80 लाख / 2



अतः उन कीमत उद्धृणों को अस्वीकृत करने के उपर्युक्त प्रावधान ने बोली प्रक्रिया को विषम बनाया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.27 करोड़ (₹ 1.92 करोड़ - ₹ 0.65 करोड़) का अतिरिक्त व्यय हुआ।

सरकार/कंपनी ने अपने उत्तर में बताया (सितंबर 2015) कि धारा 4.1.3, हरियाणा सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस परियोजना की विफलता के जोखिम के परिहार के लिए जारी मानक मार्गनिर्देशों के अनुरूप आर.एफ.पी. में शामिल की गई थी। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि मार्गनिर्देश, अनिवार्य नहीं थे और कंपनी को इसके कार्यान्वयन से पहले मार्गनिर्देशों के परिणामों के बारे में विचार करना चाहिए था। तथ्य रहता है कि तकनीकी रूप से योग्य फर्म, जो एल-1 भी थी, को इस आधार पर कि इसका उद्धृण औसत उद्धृण से 50 प्रतिशत से कम था, अस्वीकृत किए जाने के परिणामस्वरूप कंपनी ने ₹ 1.27 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

### हरियाणा राज्य वन विकास निगम लिमिटेड

#### 3.11 अतिरिक्त व्यय

**कंपनी ने उच्च ऊर्जा प्रभारों तथा विद्युत यंत्रों के रख-रखाव के कारण ₹ 0.48 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।**

कंपनी ने निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, हरियाणा, पंचकुला से ₹ 23.05 करोड़ मूल्य के 37,300 मेजों तथा 1,11,900 कुर्सियों की आपूर्ति का आदेश प्राप्त किया (अक्टूबर 2013)। कंपनी ने इस आदेश को आर.ओ. अंबाला और आर.ओ. कुरूक्षेत्र सहित अपने छः<sup>30</sup> क्षेत्रीय कार्यालयों (आर.ओ.ज) को बांट दिया। आर.ओ. अंबाला और आर.ओ. कुरूक्षेत्र ने 28,136 मेजों (क्रमशः 14,299 और 13,837 मेजों) तथा 84,408 कुर्सियों (क्रमशः 42,897 और 41,511 कुर्सियों) की आपूर्ति करनी थी। दोनों आर.ओ. कार्यालयों ने 28,093 मेजों (क्रमशः 14,256 और 13,837 मेजों) और 84,279 कुर्सियों (क्रमशः 42,768 और 41,511 कुर्सियों) का निर्माण और आपूर्ति की।

कंपनी की आर.ओ. कुरूक्षेत्र में एक आरा मिल सहित अपनी कार्यशाला थी और कच्चा माल एवं फिक्सर्ज खरीद कर तथा ठेकेदारों को बढ़ई कार्य (यंत्र तथा मशीनों सहित) और पालिश के लिए श्रम का भुगतान करके मेजों और कुर्सियों का निर्माण किया गया था। तथापि, आर.ओ. अंबाला में कच्चा माल जैसे लकड़ी इत्यादि जो कंपनी द्वारा खरीदी गई थी किंतु निर्माण कार्य एल-1 ठेकेदारों को कुटेशनज (बढ़ई की दर; पालिशिंग के श्रम प्रभार और ऊर्जा की लागत व बिजली के उपकरणों के रख-रखाव हेतु) आमंत्रित करने के पश्चात् प्रदान किया गया था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (दिसंबर 2014) कि आर.ओ. अंबाला में ठेकेदारों को कार्य प्रदान करने से पहले कंपनी ने बढ़ई कार्य, श्रम प्रभारों इत्यादि की आर.ओ. कुरूक्षेत्र (जहां कंपनी की अपनी आरा मिल है) की दरों से तुलना नहीं की थी। ठेकेदारों को भुगतान किए गए ऊर्जा प्रभार वास्तविक आधार पर होने चाहिए थे और बिजली उपकरणों के रख-रखाव के कारण किया गया भुगतान इन उपकरणों की लागत से अधिक नहीं होना चाहिए था। तथापि, आर.ओ. कुरूक्षेत्र में ₹ 20.29 प्रति मेज और ₹ 5.75 प्रति कुर्सी के विरुद्ध

<sup>30</sup> अंबाला, गुड़गांव, हिसार, जींद, कुरूक्षेत्र तथा रोहतक।

आर.ओ. अंबाला ने ठेकेदार को ₹ 186.57 प्रति मेज और ₹ 53.77 प्रति कुर्सी की दर पर ऊर्जा प्रभारों का भुगतान किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.44 करोड़<sup>31</sup> का अतिरिक्त व्यय हुआ। पुनः, आर.ओ. अंबाला ने ठेकेदारों को बिजली के उपकरणों के रख-रखाव की लागत के रूप में निर्दिष्ट दरों पर ₹ 0.35 करोड़ का भुगतान किया जबकि आर.ओ. गुड़गांव कार्यालय ने भी इस आदेश के एक हिस्से का निष्पादन ₹ 0.10 करोड़ की लागत पर बिजली के उपकरण खरीद कर किया। आर.ओ. अंबाला ने आर.ओ. गुड़गांव के व्यय की तुलना में न सिर्फ ₹ 0.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय ही किया बल्कि भविष्य में प्रयोग के लिए कोई परिसंपत्ति भी सृजित नहीं की। अतः यदि आर.ओ. अंबाला ने आर.ओ. कुरुक्षेत्र द्वारा वास्तविक आधार पर भुगतान किए गए ऊर्जा प्रभारों को ध्यान में रखते हुए कार्य प्रदान किया होता और अपने बिजली के उपकरण खरीदे होते, तो कंपनी ₹ 0.69 करोड़ (₹ 0.44 करोड़ और ₹ 0.25 करोड़) के अतिरिक्त व्यय का परिहार कर सकती थी।

प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2015) कि आर.ओ. अंबाला के पास इस आदेश को निष्पादित करने के लिए अपनी स्वयं की कार्यशाला हेतु स्थान नहीं था और इस हेतु पर्याप्त स्थान वाले ग्रामीण क्षेत्र में मासिक किराए के आधार पर एक भवन किराए पर लिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की भारी कमी के कारण जेनरेटर सैट प्रयुक्त किए गए थे जबकि आर.ओ. कुरुक्षेत्र के पास शहरी क्षेत्र में अपना परिसर था। जेनरेटर सैट के माध्यम से उत्पादित ऊर्जा की लागत यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा दी गई आपूर्ति से 4-5 गुणा अधिक थी। पुनः, आर.ओ. अंबाला में आरा मिल मशीनों और जेनरेटर सेटों के प्रस्थापन के लिए स्थान के अभाव तथा इस प्रकार के भारी आदेश दुबारा प्राप्त करने की अनिश्चितता के कारण आर.ओ. अंबाला ने इन विद्युत उपकरणों को नहीं खरीदा।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि इस तथ्य, कि जेनरेटर सेटों द्वारा बिजली उत्पादन की दरें यू.एच.बी.वी.एन.एल. को देय विद्युत की लागत से पांच गुणा अधिक है, पर विचार करने के पश्चात् भी भुगतान किए गए बिजली प्रभार बहुत अधिक थे और तदनुसार कंपनी ने बिजली प्रभारों पर ₹ 0.23 करोड़<sup>32</sup> का अतिरिक्त व्यय किया। पुनः, जो उपकरण ₹ 0.10 करोड़ (आर.ओ. गुड़गांव में अधिग्रहण की लागत) में खरीदे जा सकते थे, उनके रख-रखाव पर ठेकेदार को किया गया ₹ 0.35 करोड़ का भुगतान, इस आधार पर न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता कि ऐसे भारी आदेश की पुनरावृत्ति की निश्चितता नहीं थी।

सरकार ने बताया (अक्टूबर 2015) कि कंपनी का ग्रामीण क्षेत्र में भवन किराए पर लेने का निर्णय विवेकपूर्ण था क्योंकि उसी आकार के भवन का शहरी क्षेत्र में किराया ₹ 0.29 करोड़ प्रतिवर्ष से अधिक था और कंपनी के उद्देश्य में कृषक और श्रमिक समुदाय के वित्तीय स्तर को बढ़ाने और वन पर आधारित संबंधित उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देकर ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सृजन जैसे उद्देश्य शामिल थे। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि उच्चतर ऊर्जा प्रभारों पर किए गए ₹ 0.23 करोड़ के अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति ग्रामीण क्षेत्र में भवन को किराए पर लेने के कारण बचाई गई राशि से नहीं की जा सकती क्योंकि कंपनी को जेनरेटर

<sup>31</sup> अतिरिक्त व्यय: 14,256 मेज x (₹ 186.57 - ₹ 20.29) + 42,768 कुर्सियां x (₹ 53.77 - ₹ 5.75)।

<sup>32</sup> अतिरिक्त व्यय: 14,256 मेज x (₹ 186.57 - ₹ 20.29 x 5) + 42,768 कुर्सियां x (₹ 53.77 - ₹ 5.75 x 5)।

सैटों के द्वारा प्रयुक्त बिजली पर उच्चतर ऊर्जा प्रभार (यू.एच.बी.वी.एन.एल. द्वारा प्रभारित ऊर्जा की लागत का पांच गुणा) का भुगतान करना पड़ा।

अतः, कंपनी ने ठेकेदार को ₹ 0.48 करोड़ (अधिक ऊर्जा प्रभार- ₹ 0.23 करोड़ और उपकरणों के रख-रखाव के लिए किया गया अधिक भुगतान- ₹ 0.25 करोड़<sup>33</sup>) का अधिक भुगतान किया।

### हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड

#### 3.12 राजस्व की हानि

**कंपनी ने गेहूं स्टॉक के अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त परिरक्षण के कारण ₹ 7.89 करोड़ की हानि उठाई।**

हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड (कंपनी) भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की ओर से केंद्रीय पूल के लिए मंडियों से गेहूं का प्रापण करती है और समय-समय पर दी गई समय सारणी के अनुसार इसे एफ.सी.आई. को प्रेषित करती है। गेहूं प्रेषित करने के पश्चात्, कंपनी खाद्यान्नों की लागत और अन्य प्रभारों की प्रतिपूर्ति का दावा एफ.सी.आई. से करती है। कंपनी के दावे न्यूनतम समर्थन मूल्य<sup>34</sup> जमा सांविधिक प्रभार और गेहूं के अन्य प्रासंगिक प्रभार, जैसे कि भारत सरकार (जी.ओ.आई.) द्वारा समय-समय पर नियत किए जाते हैं, पर आधारित होते हैं। एफ.सी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार यदि स्टॉक की क्षति कंपनी की अभिरक्षा के दौरान हो तो भारत सरकार हानि की प्रतिपूर्ति नहीं करती क्योंकि प्रापण किए गए खाद्यान्नों की सुरक्षित अभिरक्षा/परिरक्षण कंपनी का उत्तरदायित्व है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया (नवंबर 2014) कि एफ.सी.आई. ने फसल वर्ष 2010-11 और 2011-12 में 5,974.85<sup>35</sup> एम.टी. गेहूं का अधिग्रहण नहीं किया क्योंकि उसे अनुपयुक्त परिरक्षण तथा अवैज्ञानिक भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त और उत्तरोत्तर जारी न किए जाने योग्य पाया गया। एफ.सी.आई. ने क्षतिग्रस्त गेहूं की मात्रा को मानवीय उपभोग के लिए अयोग्य तथा पशु आहार के रूप में वर्गीकृत किया जिसको पशु आहार निर्माताओं को विक्रय के माध्यम से निपटाया जाना था।

क्षतिग्रस्त स्टॉक के 5,974.85 एम.टी. में से, कंपनी ने जनवरी 2014 में निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् 2,457.55 एम.टी. का निपटान कर दिया और 3,517.30 एम.टी. की शेष मात्रा बच गई। तदोपरांत, मई 2014 में, 895.50 एम.टी. गेहूं (794.50 एम.टी.: नीलोखेड़ी, करनाल फसल वर्ष 2011-12 के लिए और 101 एम.टी.: अमीन, कुरूक्षेत्र फसल वर्ष 2012-13 के लिए) भी क्षतिग्रस्त पाया गया। कुल 4,412.80 एम.टी. (3,517.30 एम.टी. और 895.50 एम.टी.) गेहूं में से 4,327.70 एम.टी. का जून 2014 में निविदा आमंत्रित करने के पश्चात् निपटान कर दिया

<sup>33</sup> ₹ 35.42 लाख (उपकरणों के रख-रखाव के लिए किया गया भुगतान)- ₹ 10.44 लाख (आर.ओ. गुड़गांव द्वारा खरीदे गए उपकरणों की लागत)।

<sup>34</sup> एम.एस.पी. वह कीमत है जिस पर सरकार सीधे किसानों से फसल खरीदने को तैयार होती है यदि फसल की कीमत एम.एस.पी. से नीचे चली जाए।

<sup>35</sup> जीतराम प्लिन्थ (इन्द्री-2,440 एम.टी.), एच.ए.आई.सी. मंडी (कुरूक्षेत्र-1,471.15 एम.टी.), एग्रो काम्प्लैक्स (पिपली-617 एम.टी.), आर.डी. राइस मिल (330 एम.टी.) और एग्रो मंडी (कुरूक्षेत्र-1,471.15 एम.टी.) में भंडारित।

गया। शेष 85.10 एम.टी. को या तो भार की हानि या कमी के रूप में दिखाया गया। कंपनी ने ₹ 13.35 करोड़ के क्षतिग्रस्त स्टॉक, जो एफ.सी.आई. से वसूल कर लिए जाते यदि गेहूं का भंडारण एफ.सी.आई. के मार्गनिर्देशों के अनुसार किया जाता, के विरुद्ध उसके निपटान से ₹ 5.46 करोड़ की वसूली की। अतः, कंपनी ने अवैज्ञानिक और अनुपयुक्त परिरक्षण के कारण क्षतिग्रस्त गेहूं (फसल वर्ष 2010-11 और 2011-12) के निपटान पर ₹ 7.89 करोड़ (₹ 13.35 करोड़ - ₹ 5.46 करोड़) की परिहार्य हानि उठाई।

कंपनी ने तथ्यों को स्वीकारते हुए अपने उत्तर में बताया (जून 2015) कि गेहूं स्टॉक, खुले प्लिन्थ पर देर तक भंडारण के कारण क्षतिग्रस्त हुए। यह भी सूचित किया गया कि संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई थी।

मामला सरकार के पास भेजा गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

### हरियाणा राज्य सड़क तथा पुल विकास निगम लिमिटेड

#### 3.13 अनाधिकृत टोल संग्रहण

कंपनी ने पांच राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित होने के बावजूद हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण), अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹ 29.31 करोड़ के टोल लगाना और एकत्र करना जारी रखा।

हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 की धारा 3 प्रावधान करती है कि एक बार किसी राज्य राजमार्ग के राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित हो जाने पर उससे गुजरने वाले या किसी टोल सुविधा का उपयोग करने वाले किसी भी मैकेनिकल वाहन पर टोल उद्ग्रहीत नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय राजमार्ग संघ-सूची के अंतर्गत आवृत्त हैं तथा इस विषय पर कोई कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार है।

कंपनी राज्य राजमार्गों का विकास करती है तथा समय-समय पर राज्य सरकार के निर्देशों/अनुमोदन के अनुसार टोल एकत्र करती है। कंपनी द्वारा विकसित पांच राज्य राजमार्गों<sup>36</sup> पर पांच टोल बिंदुओं पर यह स्वयं अथवा ठेकेदारों द्वारा टोल एकत्र कर रही थी। इन पांच अनुबंधों की वैधता की अवधि अप्रैल 2014 से फरवरी 2016 के मध्य थी। अनुबंध के निबंधनों एवं शर्तों में प्रावधान किया गया था कि कंपनी 15 दिन का नोटिस जारी करने के पश्चात्, कोई कारण बताए बिना, किसी भी समय उनके अनुबंध को खत्म कर सकती है।

भारत सरकार, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय ने इन पांच राज्य राजमार्गों को 4 मार्च 2014 को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया। हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने हरियाणा मैकेनिकल वाहन (टोल-उद्ग्रहण) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए, इस तथ्य के बावजूद कि कंपनी 15 दिन का नोटिस देने के पश्चात् कोई कारण बताए बिना उनके अनुबंध को खत्म कर सकती है, 25 दिसंबर 2014 तक इन सड़कों से टोल वसूलना जारी रखा तथा ₹ 29.31 करोड़ एकत्र किए।

<sup>36</sup> गुड़गांव-सोहना सड़क, सोहना-नूह-फिरोजपुर झिरका-अलवर सड़क, यूपी. बाईर-सोनीपत गोहाना सड़क, सरदुलगढ़-सिरसा सड़क, नारनौल-सिंधाना सड़क।

प्रबंधन ने बताया (जून 2015) कि वित्त विभाग की सहमति तथा मंत्री परिषद के अनुमोदन के बिना अधिसूचित टोल स्थानों पर टोल के संग्रहण को बंद नहीं किया जा सकता था। मंत्री परिषद द्वारा इन टोल बिंदुओं को बंद करने के प्रस्ताव को अनुमोदन (25 नवंबर 2014) देने के पश्चात् इन्हें बंद करने की अधिसूचना जारी (10 दिसंबर 2014) कर दी गई थी तथा तदनुसार 26 दिसंबर 2014 को इन्हें बंद कर दिया गया था। इसीलिए इन पांच स्थानों पर टोल का संग्रहण अनाधिकृत नहीं था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं था क्योंकि जब कंपनी को मार्च 2014 में राज्य राजमार्गों के राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषणा का पता चला तो कंपनी ने टोल के संग्रहण को बंद करने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया तुरंत आरंभ नहीं की थी। टोलज के निरस्तीकरण के लिए अनुमोदन मांगने की प्रक्रिया को देरी से आरंभ करने के परिणामस्वरूप निर्णय लेने में देरी हुई तथा मार्च 2014 से दिसंबर 2014 तक टोल लगाना तथा संग्रहण करना उपयोगकर्ताओं पर अनावश्यक भार था।

मामला सरकार के पास भेज दिया गया था (मई 2015); उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2016)।

### हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड

#### 3.14 मूल गतिविधियों की समीक्षा

कंपनी ने वर्ष 2012-13 से अपनी मूल गतिविधियों में परिचालनात्मक हानियां उठानी शुरू कर दी तथा इसने 2014-15 में उच्च स्वाद्य तथा ईंधन लागत, उच्च मानवशक्ति लागत, नवीन मार्केटिंग योजना की कमी तथा अपने कॉम्प्लैक्सों पर सेवाओं की निम्न गुणवत्ता के कारण ₹ 5.44 करोड़ की हानि उठाई।

##### 3.14.1 प्रस्तावना

हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड (कंपनी) राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थापित (मई 1974) की गई थी। इसने 2010-11 से 2014-15 के दौरान 42 से 43 कांप्लैक्स संचालित किए जो पर्यटन विभाग द्वारा पट्टे पर दिए गए थे। कंपनी ने अपनी गतिविधियों को मूल गतिविधियों (अकोमोडेशन, क्वार्टरिंग तथा लिक्वर) तथा गैर-मूल गतिविधियों (लीजिंग, पार्किंग, गेट एंट्री, बोटींग तथा पेट्रोल पंपों) में बांटा था। लेखापरीक्षा ने मूल गतिविधियों, जो राज्य में पर्यटन के बढ़ाने का मुख्य संघटक है, के संचालन की जांच की। कंपनी में मूल गतिविधियों से राजस्व का हिस्सा 2009-14 के दौरान 16.59 से 20.30 प्रतिशत के मध्य रहा। लेखापरीक्षा ने 11 कांप्लैक्सों<sup>37</sup>, जिनकी कोर गतिविधियों ने 43 प्रतिशत टर्नओवर दिया, को कार्यक्षमता का निर्धारण करने के लिए विस्तृत संवीक्षा के लिए नमूने के रूप में चुना।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि कंपनी के कुल परिचालनात्मक लाभ<sup>38</sup> में कोर गतिविधियों का हिस्सा 2010-11 में ₹ 5.79 करोड़ से घटकर 2011-12 में ₹ 2.37 करोड़ तक रह गया

<sup>37</sup> 'आकार के आधार पर आनुपातिक संभाव्यता विधि' के अनुसार उनके टर्नओवर के आधार पर यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर, किंगफिशर अंबाला, मैगपाई फरीदाबाद, बड़खल झील फरीदाबाद, होटल राजहंस, सूरजकुंड, हरमिटेज हट्स सूरजकुंड, सारस दमदमा, बारबेट सोहना, ग्रे-पेलिकेन यमुनानगर, तिलयार रोहतक तथा स्काईलार्क पानीपत काम्प्लैक्स चुने गए थे।

<sup>38</sup> 'काम्प्लैक्स में कुल ऑपरेशनल लाभ/हानि घटा नॉन-कोर गतिविधियों से हुई बिक्रियों' के आधार पर लेखापरीक्षा में परिकलित। कुल ऑपरेशनल लाभ कंपनी के सामान्य ओवरहेड तथा मूल्यहास में कमी की अनुभाजन लागत को प्रभारित किए बिना परिकलित किए गए थे।

तथा अनुवर्ती वर्षों में हानि में बदल गया जो 2012-13 में ₹ 0.64 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 5.44 करोड़ हो गया। हानि उठाने वाले टुरिस्ट काम्पलैक्सों की संख्या 2010-11 में 26 (60 प्रतिशत) से बढ़कर 2014-15 में 32 (76 प्रतिशत) हो गई। इनमें से, 24 काम्पलैक्स 2010-15 के दौरान अपनी मूल गतिविधियों में लगातार हानि उठा रहे थे तथा इस अवधि के दौरान उन्होंने ₹ 35.26 करोड़ की परिचालनात्मक हानि उठाई।

### 3.14.2 पर्यटक आगमन

कंपनी के काम्पलैक्सों में आने वाले घरेलू पर्यटकों<sup>39</sup> की संख्या 2010-11 में 68.25 लाख से कम होकर 2013-14 में 64.47 लाख रह गई तथा 2014-15 में बढ़कर 75.46 लाख हो गई। इसी समय 2010-15 के दौरान काम्पलैक्सों में आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या 1.30 लाख से बढ़कर 3.06 लाख हो गई। तथापि, समग्र पर्यटक आगमन 2010-11 में 69.55 लाख से घटकर 2013-14 में 66.87 लाख रह गया लेकिन 2014-15 में बढ़कर 78.52 लाख हो गया। कंपनी को पर्यटकों के फीडबैक का विश्लेषण करके अपने काम्पलैक्सों में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए नई पर्यटन फ्रैंडली सुविधाओं को अपनाने की आवश्यकता है।

### 3.14.3 लक्ष्यों की प्राप्ति न होना

कंपनी ने मूल गतिविधियों के लिए प्रत्येक काम्पलैक्स हेतु तिमाही वित्तीय लक्ष्य<sup>40</sup> निर्धारित किए। यह अवलोकित किया गया था कि लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले काम्पलैक्सों की संख्या 2010-11 में 12 से घटकर 2014-15 में 2 रह गई तथा लक्ष्यों को प्राप्त न करने वाले काम्पलैक्सों के संबंध में इस कमी की प्रतिशतता इस अवधि के दौरान सभी काम्पलैक्सों की 9.02 से 77.02 के मध्य रही। चयनित काम्पलैक्सों के संबंध में मुख्य मापदण्डों जैसे लाभप्रदता, अधिभोग तथा अन्य लागत घटकों की प्रवृत्तियां *परिशिष्ट 7* में दी गई हैं।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि काम्पलैक्सों पर दबाव डालने के लिए लक्ष्यों को आमतौर पर ऊंचा रखा गया था तथा कच्चे माल की अधिक लागत, अधिक वेतन लागत तथा काम्पलैक्सों तक पहुंचने में मुश्किलों के कारण बिजनेस में कमी के कारण ये लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सके। कच्चे माल की लागत तथा वेतन बिलों में बढ़ोतरी के घटकों को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है तथा कंपनी को वास्तविक और प्राप्य लक्ष्यों को ही रखना चाहिए था। लक्ष्यों में 20 प्रतिशत से अधिक की कमी वाले काम्पलैक्स 2012-13 में 3 से बढ़कर 2014-15 में 39 हो गए।

### 3.14.4 खाद्य लागत तथा ईंधन लागत

कंपनी ने खाद्य लागत (अगस्त 2008) तथा ईंधन लागत (दिसंबर 2012) के लिए मानदण्ड निर्धारित किए थे जिनके अनुसार इसके सभी काम्पलैक्सों के टर्नओवर की खाद्य लागत 20 से 35 प्रतिशत के मध्य तथा ईंधन लागत 5 से 12 प्रतिशत के मध्य होनी थी। चयनित 11 काम्पलैक्सों में, उन काम्पलैक्सों की संख्या जहां खाद्य लागत मानदण्ड से अधिक थी,

<sup>39</sup> पर्यटन विभाग, हरियाणा द्वारा संकलित डाटा।

<sup>40</sup> लक्ष्य 2012-13 तक टर्नओवर के अनुसार तथा 2013-14 से आपरेशनल लाभों के अनुसार निर्धारित किए गए थे।

2010-15 के दौरान 3 से 5 के मध्य रही। इन काम्पलैक्सों में ₹ 0.44 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था। इसी प्रकार, वह काम्पलैक्स, जहां पर ईंधन लागत मानदण्ड से अधिक थी, 2010-11 में 4 से बढ़कर 2013-14 में 9 हो गए तथा 2014-15 में 7 रह गए। इन स्थानों पर ₹ 0.31 करोड़ का अतिरिक्त व्यय था।

लोक उपक्रम समिति ने भी सिफारिश की थी (मार्च 2013) कि कंपनी को खाद्य लागत मानदण्ड के नजदीक रखनी चाहिए तथा गुणवत्ता को बनाए रखने की कोशिश की जाए एवं लागत उचित हो। 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान कंपनी अपनी खाद्य लागत को नियंत्रित करने में विफल रही। चयनित 11 काम्पलैक्सों में से 4 तथा 5<sup>41</sup> में खाद्य लागत अभी भी मानदण्ड से अधिक थी तथा दो वर्षों के दौरान अधिक उपभोग 4.55 प्रतिशत से 25.92 प्रतिशत के मध्य रहा।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि कुछ इकाइयां कच्चे माल तथा ईंधन लागत की दरों में बढ़ोतरी के कारण मानदण्ड को प्राप्त नहीं कर सकी थीं तथा मानदण्ड की समीक्षा प्रक्रिया अधीन थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मानदण्ड कच्चे माल तथा ईंधन की लागत में प्रगति को देखते हुए निर्धारित किए जाते हैं।

### 3.14.5 बिजली की लागत

हमने अवलोकित किया कि कंपनी ने अपने पर्यटन काम्पलैक्सों में बिजली के उपभोग के लिए मानदण्ड निर्धारित नहीं किए थे। चयनित 11 काम्पलैक्सों में, 2010-15 के दौरान टर्नओवर के प्रतिशत के रूप में बिजली की औसत लागत 5.39 (हरमिटेज हटस, सूरजकुण्ड) से 32.31 (यादवेन्द्र गार्डन, पिंजौर) के मध्य रही। कंपनी को उच्च बिजली लागत नियंत्रित करने के लिए मानदण्ड निर्धारित करने की आवश्यकता है। पुनः, कंपनी ने नमूना-जांच किए गए 11 काम्पलैक्सों में से केवल दो<sup>42</sup> के गैस्ट रूमों में ही की-कार्ड सिस्टम<sup>43</sup> स्थापित किए थे। की-कार्ड सिस्टम के प्रयोग से, कमरों में बिजली उपभोग को 20 से 30 प्रतिशत तक कम<sup>44</sup> किया जा सकता था तथा तदनुसार कंपनी अपने बिजली प्रभारों से ₹ 1.71 करोड़ (₹ 8.54 करोड़ के बिजली बिलों का 20 प्रतिशत) बचा सकती थी।

कंपनी अपने काम्पलैक्सों में प्राप्त किए गए बिजली कनेक्शनों के लिए कुल संस्वीकृत लोड पर निर्धारित प्रभारों का भुगतान कर रही थी। पांच<sup>45</sup> काम्पलैक्सों में बिजली बिलों में दर्ज अधिकतम मांग इनके अनुमोदित/कनैक्टिड लोड से कम थी। यदि कंपनी वास्तविक जरूरतों के आधार पर अपने अनुमोदित लोड को कम करवा लेती, तो यह इन पांच काम्पलैक्सों में 2012-13 से 2014-15 के दौरान ₹ 0.44 करोड़ के भुगतान को बचा सकती थी।

<sup>41</sup> बड़खल, फरीदाबाद, हरमिटेज हटस सूरजकुंड, होटल राजहंस सूरजकुंड, यादवेन्द्र गार्डन पिंजौर तथा बारबेट सोहना।

<sup>42</sup> सोहना तथा यमुनानगर।

<sup>43</sup> एक ऊर्जा बचत प्रणाली जिसमें जब क्लॉईट अपने कमरे में प्रवेश करने पर कमरे की चाबी के साथ लगे कार्ड को डालता है तो बिजली आ जाती है तथा जब क्लॉईट कमरे को छोड़ता है, कार्ड के वापस निकालने पर बिजली बंद हो जाती है।

<sup>44</sup> होटल एनर्जी सोल्युशनज (संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा आरंभ की गई परियोजना) में ऊर्जा दक्षता पर पेपर के अनुसार।

<sup>45</sup> होटल राजहंस, तिलयार रोहतक, स्काईलार्क पानीपत, किंगफिशर अंबाला तथा मैगपाई फरीदाबाद।

तथ्यों को स्वीकार करते समय प्रबंधन ने बताया (सितंबर 2015) कि बिजली बचाने तथा यूनिट लेवल पर संस्वीकृत लोड का पुनः निर्धारण करने के निर्देश जारी (सितंबर 2015) कर दिए गए हैं।

लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि होटल राजहंस, सूरजकुण्ड ने आवासीय स्टाफ क्वार्टरों सहित अपने काम्पलैक्स के लिए 802 के.डब्ल्यू के बल्क आपूर्ति बिजली कनेक्शन प्राप्त किए थे। आवासीय क्षेत्र में 2009-15 के दौरान 197 के.डब्ल्यू तथा 164 के.डब्ल्यू के मध्य कनेक्टिड लोड के साथ 81 से 66 स्टाफ क्वार्टर थे। इसने आवासीय क्षेत्र में बिजली के उपभोग को मापने के लिए कोई सब-मीटर स्थापित नहीं किए थे तथा इसकी बजाय आबंटी कर्मचारियों से एकमुश्त राशि प्रभारित की थी। इस प्रकार, कंपनी को स्टाफ क्वार्टरों के लिए अलग मीटर न लगवाने के कारण 2009-15 के दौरान ₹ 0.83 करोड़<sup>46</sup> राशि वहन करनी पड़ी थी।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि जून 2015 में प्रत्येक आवासीय डवैलिंग यूनिट में अलग घरेलू बिजनी कनेक्शन दे दिए गए थे। तथापि तथ्य रहता है कि स्टाफ क्वार्टरों के लिए अलग मीटर की स्थापना में विलंबित कार्रवाई के कारण कंपनी को 2009-15 के दौरान ₹ 0.83 करोड़ की राशि वहन करनी पड़ी थी।

### **3.14.6 मानवशक्ति लागत**

कंपनी ने निर्णय (मार्च 1989) लिया था कि प्रत्येक काम्पलैक्स पर वेतन लागत उस काम्पलैक्स के टर्नओवर के 20 से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। चयनित 11 काम्पलैक्सों में 2010-15 के दौरान वेतन लागत टर्नओवर का 29.03 प्रतिशत (हर्मिटेज हटस, सूरजकुण्ड) से लेकर 58.75 प्रतिशत (स्काईलार्क, पानीपत) तक के मध्य रही थी। ₹ 149.88 करोड़ के कुल टर्नओवर के विरुद्ध, काम्पलैक्सों ने वेतन लागत पर ₹ 68.40 करोड़ (45.64 प्रतिशत) व्यय किए। लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि 2010-15 के दौरान लगातार उच्च मानवशक्ति लागत के बावजूद, प्रबंधन ने इसे पुनर्गठित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि सेवाओं की आउटसोर्सिंग को बढ़ाकर नियमित पदों की संख्या कम करने तथा बिक्री को बढ़ाने की कोशिश की जा रही थी।

### **3.14.7 काम्पलैक्सों का अधिभोग**

कंपनी ने अधिभोग के लिए न तो कोई लक्ष्य निर्धारित किए थे और न ही अपने काम्पलैक्सों के लिए ब्रेकइवन स्तर को परिकलित किया था। 2010-15 के दौरान काम्पलैक्सों के अधिभोग स्तर 55 प्रतिशत (2012-13) से 71 प्रतिशत (2010-11) के मध्य रहे थे।

2009-14 के दौरान 60 प्रतिशत<sup>47</sup> के कुल कमरा-अधिभोग के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध, चयनित 11 काम्पलैक्सों में से तीन काम्पलैक्सों<sup>48</sup> का औसत अधिभोग 44 प्रतिशत से

<sup>46</sup> यह बिजली वितरण कंपनियों के मानकों के अनुसार एक कमरे के लिए 2 के.डब्ल्यू, दो कमरों के लिए 3 के.डब्ल्यू तथा अधिकारी क्वार्टर के लिए 5 के.डब्ल्यू के कनेक्टिड लोड को मानकर परिकलित किया गया है।

<sup>47</sup> स्रोत: भारतीय डाटा की होटल तथा रेस्टोरेंट एसोसिएशन फेडरेशन।

<sup>48</sup> यादविंद्र गार्डन पिंजौर, होटल राजहंस तथा सारस दमदमा।



57 प्रतिशत के मध्य रहा। होटल राजहंस का औसत अधिभोग 2009-14 के दौरान 31 प्रतिशत पर न्यूनतम था।

राज्य की पर्यटन नीति 2008 में उल्लेख है कि कंपनी पर्यटन को बढ़ाने तथा मार्केटिंग के लिए इवेंट मैनेजर्स की सेवाएं ले सकती है तथा अधिक पर्यटक फ्रेंडली बनाने के लिए अपने होटलों में सुविधाएं प्रदान कर सकती है। तथापि, कंपनी ने 2010-15 के दौरान केवल दो अवसरों<sup>49</sup> को छोड़कर इवेंट मैनेजर्स की सेवाएं नहीं ली थी।

प्रबंधन (सितंबर 2015) तथा सरकार (दिसंबर 2015) ने बताया कि अधिभोग प्रतिशतता किसी एक काम्पलैक्स के कारण नहीं बल्कि सभी पर्यटन काम्पलैक्सों तक पहुंचने में कठिनाई के कारण प्रभावित हुई थी तथा कमरों की दरों में परिवर्तनशीलता को प्रयोग आधार पर होटल राजहंस में कार्यान्वित (जून 2015) किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि चयनित 11 काम्पलैक्सों में से केवल दो<sup>50</sup> में काम्पलैक्सों तक पहुंच बाधित थी तथा अलग-अलग काम्पलैक्सों का खराब बिजनेस निष्पादन समग्र कंपनी के निष्पादन को प्रभावित करता है।

लोक उपक्रम समिति ने भी सिफारिश की थी कि अधिभोग को सुधारने के लिए, काम्पलैक्सों के प्रभारी अधिकारियों को कमरों की परिवर्तनशील दरें प्रस्तावित करने की शक्तियां दी जाए ताकि वे प्राइवेट होटलों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें लेकिन कंपनी ने अभी तक (नवंबर 2015) प्रयोग आधार पर केवल एक काम्पलैक्स पर ही कार्रवाई की थी।

### 3.14.8 सेवाओं की गुणवत्ता

सेवाओं की गुणवत्ता में ग्राहक की संतुष्टता को प्राप्त करने के लिए खाने की गुणवत्ता, स्वास्थ्यकर पर्यावरण, स्वच्छता, परिसरों की सुरक्षा तथा स्टाफ का व्यवहार शामिल है। तथापि, कंपनी ने अपने काम्पलैक्सों में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर कोई नीति/मानदण्ड नहीं बनाए थे।

सेवाओं की गुणवत्ता की जांच तथा रख-रखाव के लिए, काम्पलैक्सों का नियमित निरीक्षण किया जाना चाहिए। तथापि, अक्टूबर 2013 से मार्च 2014 के दौरान केवल आठ निरीक्षण (96 निरीक्षण के मानदण्ड के विरुद्ध) तथा 2014-15 में निरीक्षण के दौरान (192 निरीक्षणों के मानदण्ड के विरुद्ध) 40 निरीक्षण किए गए थे। इस प्रकार, एक महत्वपूर्ण यंत्रावली, जिसके माध्यम से सेवाओं तथा ग्राहक संतुष्टता की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग तथा सुधार किया जाना चाहिए था, एक लापरवाह तरीके से क्रियान्वित की गई।

### निष्कर्ष

प्रबंधन द्वारा निर्धारित मूल गतिविधियों के लिए वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले काम्पलैक्सों की संख्या की घटती प्रवृत्ति थी। निम्न अधिभोग के साथ-साथ उच्च मानवशक्ति लागत और खाद्य, ईंधन तथा बिजली लागतों का निर्धारित मानदण्ड से अधिक होने के कारण 2012-13 से 2014-15 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कंपनी ने अपनी मूल गतिविधियों में हानि उठाई थी।

<sup>49</sup> पिंजौर में मैंगो मेला 2014 तथा हेरिटेज फेस्टिवल 2014.

<sup>50</sup> किंगफिशर अंबाला तथा स्काईलार्क पानीपत।

## सांविधिक निगम

### हरियाणा राज्य भण्डारण निगम

#### 3.15 परिहार्य व्यय

निगम ने भवन की जमाबंदी को अपने नाम किए बिना ही भवन निर्माण पर ₹ 0.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

राज्य सरकार ने राज्य खाद्यान्न भण्डारण क्षमता को बढ़ाने का निर्णय लिया (19 जून 2012) तथा हरियाणा राज्य भण्डारण निगम (निगम) को भंडारण क्षमता सात लाख एम.टी. बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार ने इस अतिरिक्त भण्डारण के सृजन के लिए निगम को राजकीय पशुधन फार्म (जी.एल.एफ.) से संबंधित भूमि<sup>51</sup> के हस्तांतरण के लिए अनुमोदन दिया (19 दिसंबर 2013)। निगम ने जी.एल.एफ. को ₹ 12.78 करोड़ का भुगतान किया (26 मार्च 2014) तथा भूमि का अधिपत्य लिया (1 अप्रैल 2014)। इसने राजस्व प्राधिकारियों, हिसार से भूमि का सीमांकन भी करा लिया (14 मई 2014)। तथापि, बिना जमाबंदी को अपने नाम कराए तथा जिला टाउन प्लानर, हिसार से भूमि बदलाव प्रयोग (सी.एल.यू.) प्राप्त किए, निगम ने ₹ 6.97 करोड़ के भण्डारण निर्माण के लिए निविदा आमंत्रित (6 फरवरी 2014) करने के पश्चात् एक कार्य आदेश आबटित (19 मई 2014) किया। ठेकेदार ने 1 जून 2014 से निर्माण कार्य शुरू कर दिया।

निगम के प्रबंधन निदेशक ने अधिकारियों की मीटिंग (7 जून 2014) में निर्देश दिए कि जब तक जमाबंदी निगम के नाम नहीं हो जाती तथा अधिपत्य को सभी बाधाओं से मुक्त नहीं करा लिया जाता तब तक, निगम, निर्माण कार्य शुरू नहीं करेगा। जबकि कार्य प्रगति पर था, निगम को पता चला (7 अगस्त 2014) कि भूमि का प्रमुख भाग, जो इसने खरीदा था, पहले से ही भारत सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अधिगृहीत कर लिया था। निगम ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) के साथ एक मीटिंग (14 अगस्त 2014) में बाई-पास परियोजना को बदलने का आग्रह किया लेकिन एन.एच.ए.आई. इससे सहमत नहीं हुआ तथा निगम को पहले से ही कर लिए गए निर्माण को गिराने के लिए कहा (12 सितंबर 2014)।


लेखापरीक्षा ने अवलोकित किया कि यद्यपि यह निर्देश दिया गया था (7 जून 2014) कि जब तक जमाबंदी निगम के नाम नहीं हो जाती, निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा, फिर भी जमाबंदी के बिना 20 अगस्त 2014 तक निर्माण कार्य चालू रहा। निगम ने मार्च 2015 तक ठेकेदार को ₹ 1.17 करोड़ के कार्य के निष्पादन के विरुद्ध ₹ 0.69 करोड़ का भुगतान कर दिया था।

इस प्रकार, यदि निगम ने, जब यह निर्णय लिया गया कि आवश्यक जमाबंदी के बिना निर्माण शुरू नहीं किया जाएगा, तभी तुरंत निर्माण कार्य रोक दिया होता तो निगम द्वारा निर्माण पर किए गए व्यय को बचाया जा सकता था। जमाबंदी प्राप्त किए बिना भूमि पर निर्माण तथा निर्देशों के बावजूद निर्माण कार्य चालू रखने के परिणामस्वरूप ₹ 0.69 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ जो आगे ₹ 1.17 करोड़ तक बढ़ेगा जब ठेकेदार को संपूर्ण भुगतान किया जाएगा।

<sup>51</sup>

15 एकड़ 6 कनाल तथा 12 मरला।

सरकार तथा प्रबंधन ने अपने उत्तर (सितंबर 2015) में बताया कि कई मामलों में, जहां निगम ने गोदाम बना दिए थे, जमीन की जमाबंदी की जानी बाकी थी तथा इसे कराए जाने की कोशिश की जा रही है। तथापि, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए, निगम ने निर्णय (जून 2015) लिया कि प्रबंध निदेशक यह सुनिश्चित करे कि जिला उपायुक्त, जहां निर्माण किए जाने थे, के कार्यालय से एन.ओ.सी., यह स्पष्ट रूप से बताते हुए कि भूमि सभी बाधाओं से मुक्त है, प्राप्त करने के पश्चात् ही निर्माण कार्य शुरू किया जाए। यह भी बताया गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने एन.एच.ए.आई. द्वारा अधिगृहीत भूमि पर निर्माण गतिविधियों पर उठाई गई हानि की प्रतिपूर्ति के लिए ₹ एक की टोकन मनी के विरुद्ध अतिरिक्त एक एकड़ भूमि के आबंटन को अनुमोदित (मई 2015) किया था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यदि निगम ने 7 जून 2014 के अपने निर्णय को लागू किया होता तो ₹ 0.69 करोड़ के व्यय को बचाया जा सकता था।




(महुआ पाल)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक:

प्रतिहस्ताक्षरित



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक:

